प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनकः दिनांकः 29 जून, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

1 भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के लगभग 9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश भी है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ लोग निवास कर रहे है, जिसमें से 15.51 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस प्रकार भारत की कुल जनसँख्या का लगभग 16.50% तथा भारत की कुल शहरी आबादी का लगभग 11.80% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वर्ष 2001—2011 के दौरान यहाँ की शहरी जनसंख्या में कुल 1.09 करोड़ की वृद्धि हुई है।

2 नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नीति के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित है:

- (i) उत्तर प्रदेश के शहरों व कस्बों में स्वस्थ, स्वच्छ पर्यावरण हेतु स्वच्छता सम्बन्धी उच्च मानकों की प्राप्ति।
- (ii) अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण (Reduction), पुनरुपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycling) तथा नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के अधिकतम उपयोग व Resource Recovery पर बल दिया जायेगा, जिससे लैंडिफिल स्थल पर भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के साथ—साथ मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।
- (iii) राज्य में एकीकृत, लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को तैयार करने, क्रियान्वित करने, तथा संचालित किए जाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क व अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व प्राप्ति।
- (iv) साझेदारी, बिक्री अथवा पुनरुपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गये अपशिष्ट स्रोतों यथा उच्च मूल्य वाले पुनर्चक्रित, निम्न मूल्य वाले पुनर्चक्रित, कम्पोस्ट, दहनशील पदार्थ

(RDF) को अपशिष्ट ऊर्जा उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाकर इनका अंतिम उपयोग अथवा शोधन सुनिश्चित करना।

- (v) विकेन्द्रीत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को बढ़ावा देना।
- (vi) अनौपचारिक क्षेत्र में इस कार्य में लगे लोगों से प्रभावी समन्वय।

3 उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति हेतु मार्गदर्शी सिद्धातः

जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य हेतु एक व्यापक चुनौती के रूप में उभरा है। समय के साथ—साथ न केवल अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है अपितु विभिन्न प्रकार के नए—नए उत्पादों, उपकरणों और संयंत्रों के आने से अपशिष्ट के अभिलक्षणों में भी व्यापक परिवर्तन हुए है।

पृथक्करण, संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उचित तरीके से ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण पर पड़ने वाले अपशिष्ट के दुष्प्रभाव को घटाता है। स्थानीय नगरीय प्राधिकारी नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, मंडारण, परिवहन, प्रसंसकरण तथा निस्तारण हेतु अवसंरचना के विकास हेतु उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

(a) सोत स्तर पर न्यूनीकरण, पृथक्करण व पुनरुपयोग:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय निकाय अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण, स्रोत पर पृथक्करण एवं पुनरुपयोग के विकल्प को बढ़ावा देंगे। ये न केवल अपशिष्ट के प्रबंधन, शोधन व निस्तारण व्यय को कम करने में सहायक होगा अपितु पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों यथा लीचिंग, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होगा।

(b) अपशिष्ट पुनर्चक्रण:
पृथक्करण, संग्रहण, और पुनर्प्रसंकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त पुनरूपयोगी
पदार्थों द्वारा नए उत्पादों का निर्माण अगला प्रमुख विकल्प होगा | इस कार्य में लगे
Informal sector को निकाय द्वारा पूरी प्रक्रिया से जोड़ा जायेगा!

(C) <u>अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग :</u>
जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैविक अंश को कम्पोस्ट किया जाना चाहिये और इसका उपयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु किया जाना चाहिये | यह कार्य विकेन्द्रीत रूप से वार्डवार/जोनवार करने का प्रयास होना चाहिए।

(d) अपशिष्ट से ऊर्जा:

जहाँ अपशिष्ट से पदार्थ पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है वहाँ ऊष्मा, विद्युत अथवा ईंधन उत्पादन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति को प्राथमिकता दी जा सकेगी | जैव—मिथेनेशन, प्लास्टिक से तेल, अपशिष्ट से पैलेटों, अपशिष्ट दहन, अविशष्ट व्यत्पन्न ईंधन (RDF) का उत्पादन, तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट से पृथक किए गये सूखे अविशष्ट के सह—प्रसंस्करण को "अपशिष्ट से उर्जा" प्रौद्योगिकी के तहत सामान्य रूप से अपनाया जायेगा |

(e) अपशिष्ट निस्तारण:

शेष बचे हुए अपशिष्ट को जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय अनुपयोगी पदार्थ शामिल होते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप निर्मित किए गये सैनिटरी लैंडिफलों में निस्तारित किया जाना चाहिए | लक्ष्य यह निर्धारित है कि लैंडिफल स्थलों तक न्यूनतम अपशिष्ट पहुंचे (अधिकतम 10%)।

4 मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की रणनीति:

- (i) घरेलू स्तर के साथ ही प्रसंस्करण इकाईयों पर दो कूड़ेदान और पृथक्करण की व्यवस्था की जायेगी | घरेलू खतरनाक अपशिष्टों जैसे कि बैटरी, ब्लेड, रेजर आदि का पृथक रूप से एकत्रीकरण व निस्तारण किया जाना चाहिए |
- (ii) 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर रोक का प्रभावी क्रियान्वयन |
- (iii) अनौपचारिक क्षेत्र जो अपशिष्ट प्रबन्धन से जुड़ा है, उनके साथ प्रभावी समन्वय
- (iv) विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा |
- (v) वर्ष के 365 दिन निश्चित समय पर अपशिष्ट का 100% संग्रहण और यह सुनिश्चित करना कि एक बार घरों से अपशिष्ट एकत्र हो जाने के पश्चात् यह पुनः जमीन पर न रखा जाय।
- (vi) नियमित व निर्धारित रूटवार पृथक्कृत कूड़े के परिवहन की व्यवस्था |
- (vii) अधिकतम संसाधनों की प्राप्ति हेतु वार्डों में सामग्री प्राप्ति केन्द्रों की स्थापना |
- (viii) प्रदूषणकर्ता भुगतान करें स्थानीय निकायों को दण्ड शुल्क में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये यथा कूड़ा फैलाने पर 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर 50,000 रुपये का जुर्माना राशि नियत किया जाना।
- (ix) दैनिक सड़क की सफाई मुख्य सड़कों व बाजारों में मुख्यतः रात्रि में सफाई |
- (x) कूड़ा बीनने वालों के लिए सामाजिक एवं स्वास्थ्य बीमा तथा निकाय द्वारा I-Card जारी करना व औपचारिक व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (xi) प्रभावी आई.ई.सी. और क्षमता संवर्धन |

5 भागीदारों की भूमिका व उत्तरदायित्वः

(I) <u>अपशिष्ट उत्पादकों की भूमिका व उत्तरदायित्व</u>

- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को चाहिए कि स्वयं द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को दो प्रकारों (i) . में यथा जैविक (बायोडिग्रेडेबल) तथा अजैव-अपशिष्ट (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) में पृथक कर कूड़ेदानों में एकत्र करे और इस पृथक्कृत अपशिष्ट को समय पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार या अधिसूचनानुसार अधिकृत कूड़ा उठानेवाले को सौंपे | इस हेतु स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा कूड़ेदान रखने की व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। Domestic Hazardous कूड़े को पृथक एकत्रित करना चाहिए तथा इसे नियत स्थान पर प्रत्येक पक्ष अथवा माह में एकत्र कर पहुँचाया जाना चाहिए। उपयोग किए जा चुके सेनेटरी अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सेनेटरी पैड्स आदि को निर्माता द्वारा अथवा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार सूखे कूड़े हेतु निर्धारित कूड़ेदान में अथवा अजैव–निम्नीकरणीय (नॉन–बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट हेतु निर्धारित कूड़ेदान में रखे | द्कानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापरियों द्वारा उचित स्थल पर ही पृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण किया जायेगा। निर्माण एवं ध्वन्स जनित (Construction and Demolition) अपशिष्ट स्वयं के परिसर में एकत्रित करे और स्थानीय निकाय इसका निस्तारण निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुरूप करेंगे। घरों अथवा परिसरों से उत्पन्न होने वाले उद्यानीय अपशिष्ट तथा बाग-बगीचे वाले अपशिष्ट को स्वयं के परिसर में ही एकत्रित किया जाऐगा, निकाय द्वारा इनके समुचित निस्तारण के निर्देश निर्गत किए जाऐंगे |
- (ii) व्यक्ति (अपशिष्ट उत्पादक व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, परिसर के बाहर, खुले सार्वजानिक स्थलों पर अथवा नालियों या (Water Bodies) जल निकायों में न तो फेंकेगा न गाड़ेगा | अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।
- (iii) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ऐसे उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि स्थानीय निकाय की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया जाए |
- (iV) कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी अननुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा |
- (V) प्रत्येक सड़क विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा यथा भोज्य—अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सिंब्जियां, फल आदि, और इन्हें स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा |
- (Vi) सभी आवास वेलफेयर समितिया तथा बाजार संघ स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार स्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण

सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहित किए जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्ता को सौंपेंगे। जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव—निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव—मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |

(II) जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

- (i) जिलाधिकारी, राज्य नगर विकास विभाग के सचिव के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए अपने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के उपनियम (एफ) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण इकाई सैनेटरी लैण्डिफल की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध करायेंगे |
- (ii) प्रत्येक स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता शासनादेश संख्या: 4520/नौ–8–2017–153जे/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के अनुरूप अगले छः माह में करायी जानी होगी |
- (iii) जिलाधिकारी तीन माह में कम से कम एक बार अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और निस्तारण से सम्बंधित स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करेंगे और निदेशक, स्थानीय निकाय तथा सचिव, राज्य नगर विकास विभाग के साथ परामर्श कर सुधारात्मक उपायों को अपनायेंगे|

(III) स्थानीय निकायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

(a) उपविधियों का निर्माण और संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण:

- (i) स्थानीय निकाय अपशिष्ट फैलाने और जलाने को दंड सहित निषिद्ध किए जाने हेतु उपविधि बनाएंगे। कूड़ा फैलाने पर कम से कम 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों (50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले) के उत्पादन, विक्रय और उपयोग हेतु न्यूनतम 50,000 रुपये दंड निर्धारित किया जायेगा।
- (ii) स्थानीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण व पृथक्करण हेतु उपयोगकर्ता शुल्क को निर्दिष्ट करते हुए उपविधि बनायेंगे|

- (iii) स्थानीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण हेतु निजी संचालकों को नियुक्त कर सकेंगे, जहाँ संचालक गृह स्वामियों अथवा प्रतिष्ठानों से उपयोगकर्ता शुल्क प्राप्त कर कार्य करेगा।
- (iv) प्रत्येक निकाय वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का गठन करेंगे तथा इन्हें क्रियाशील रखेंगे।
- (v) राज्य नीति की अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर राज्य नीति के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का निर्माण करेंगे और इसकी एक प्रतिलिपि सरकार को जमा करेंगे|
- (vi) Informal Sector (समस्त कूड़ा) उठाने वालों का पंजीकरण कर उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी करने का कार्य छः माह में पूरा किया जायेगा।

(IV) आवास एवं नगर नियोजन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व:

- (i) 200 से अधिक घरों अथवा 5000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड के ग्रुप—हाउसिंग, अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों अथवा किसी भी अन्य अनावासीय काम्प्लेक्स के लिए बनायी जाने वाली विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु पृथक्करण व भण्डारण हेतु स्थान का सीमांकन निर्धारण सुनिश्चित करना |
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि राज्य के प्रत्येक शहर हेतु निर्मित महायोजना/मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व निस्तारण की सुविधा स्थापना हेतु स्पष्ट मानक प्रावधान किये गए हों |
- (iii) स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित/सीमांकित किये गये लैंडफिल स्थलों को अपनी महायोजना मास्टर प्लान में समाविष्ट करना |
- (iv) शासनादेश संख्या 563/8—3—12—27 विविध/08 दिनांक 02.03.2012 का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना |
- (v). क्षेत्रीय योजनाओं में सैनेटरी लैंडफिल स्थल हेतु जगह उपलब्ध कराना |
- (vi) स्थानीय नगरीय निकायों को आवश्यकतानुसार उनकी योजनाओं के तहत अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों हेतु जगह उपलब्ध कराना |

(V) <u>हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और निजी बिल्डरों की भूमिका व</u> उत्तरदायित्व :

- (i) व्यावसायिक अथवा आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाये जाने के दौरान ही अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थान का निर्धारण अवश्य किया जाए |
- (ii) शून्य अपशिष्ट उत्पादक समुदाय बनाने का प्रयास करना |

(VI) उद्योग विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

- (i) विस्तारित उत्पादक दायित्वों (Extended Producers Responsibilities) के तहत राज्य के समस्त उद्योगों को पुनर्चक्रण हेतु पैकेजिंग पदार्थ को वापस एकत्र किये जाने के लिए अधिसूचित करना|
- (ii) राज्य के ऐसे उद्योगों को जहाँ अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (Refuse Designed Fule) का उपयोग होता है, निर्देशित करेगा कि वे निकटस्थ स्थानीय नगरीय निकाय से (100 किमी की परिधि) से अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF) उटायें |

(VII) राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की भूमिका व उत्तरदायित्व:

- (i) यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्वयं सहायता समूह, शहरी गरीब इलाके में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बंधित स्थानीय निकाय को सहयोग प्रदान करेंगे |
- (ii) घर घर संग्रहण, पृथक्करण और वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट को चलाने हेतु स्वयं सहायता समूह गठित करने का प्रयत्न करेंगे | इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने हेतु एन0यू०एल०एम० और अन्य योजनाओं के अंतर्गत धन का उपयोग कर सकेंगे |
- (iii) अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कूड़ा उठाने वाले कार्मिकों (Rag Pickers) का निकाय द्वारा पंजीयन व पहचान पत्र निर्गत करने में सहयोग करेंगे।

(VIII) डिस्पोजेबल उत्पादों तथा सेनेटरी नैपिकन्स और डायपर के निर्मात अथवा ब्रांड स्वामियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

(i) समस्त ब्रांड स्वामी, जो अपने उत्पादों को ऐसे पैकेजिंग पदार्थ में बेचते अथवा प्रचारित करते हैं जो कि जैविक रूप से विघटनीय न हों, एक ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिसके तहत उनके उत्पादों के कारण उत्पादित पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस इकठ्ठा किया जा सके |

- (ii) सैनेटरी नैपिकन्स और डायपर्स के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामी अथवा उनके विपणन की कम्पनियाँ उनके उत्पादों में पूर्णतः पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगायेंगे अथवा अपने सेनेटरी उत्पाद के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपिकन व डायपर के निस्तारण हेतु थैले अथवा रैपर उपलब्ध कराएंगे |
- (iii) ऐसे समस्त निर्माता, ब्रांड स्वामी अथवा विपणन कम्पनियाँ अपने उत्पादों को उचित रूप से रैप कर निस्तारित किए जाने के प्रति जनता को शिक्षित जागरूक करेंगे |
- (IX) <u>ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युत्पन्न ईधन संयंत्र तथा अपशिष्ट उर्जा</u> संयंत्रों की 100 किमी की परिधि में स्थित औद्योगिक इकाइयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:
 - (i) समस्त औद्योगिक इकाइयाँ जो कि ईंधन का उपयोग कर रही हों और ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन संयंत्र से 100 किमी की परिधि में अवस्थित हों इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात छः माह के भीतर अपनी कुल ईंधन आवश्यकता के कम से कम 5% भाग को उत्पादित किए जा रहे अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन से RDF की उपलब्धता के दृष्टिगत बदलेंगे

6 स्वच्छ व सुन्दर शहर के लिए कार्यवाही:

नगर विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग तथा अवसरचना मद के तहत धन अवमुक्त किया जाता है। स्थानीय निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उनके राजस्व उत्पादन/संग्रह में सुधार के लिए उक्त योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की अवमुक्ति नियोजित करनी चाहिए। नगर विकास विभाग के निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए सतत अनुश्रवण व मार्गदर्शन करने के साथ—साथ प्रोत्साहन हेतु पहल की जायेगी। सहायता/प्रोत्साहन निम्नलिखित क्षेत्र में की जायेगी:—

- (i) अपशिष्ट न्यूनीकरण हेतु |
- (ii) वार्ड तथा स्थानीय निकाय को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) बनाने हेत।
- (iii) द्वार—द्वार संग्रहण, पृथक्करण, कूड़ा फैलाने को निषिद्ध किए जाने और उपयोक्ता शुल्क लागू किये जाने सम्बंधी नियमों के निर्माण हेतु |
- (iv) उपयोक्ता शुल्क के 100% संग्रहण हेतु प्रोत्साहन |
- (v) वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति की क्रियाशीलता।

- (vi) "शून्य अपशिष्ट" उत्पादक स्थानीय निकाय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु।
- (vii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों से कबाड़ी वालों, कूड़ा उठाने वालों व स्वयं सहायता समूहों आदि जैसे अनौपचारिक वर्ग को एकीकृत करने वाले स्थानीय निकाय को
- (viii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यथा सफाई कर्मी की उपस्थिति, सफाई कार्यों के संचालन में GIS / जियो—टैगिंग, और जीपीएस आधारित अपशिष्ट का परिवहन आदि की निगरानी हेतु e-Governance शासन उपकरणों का उपयोग करने वाली स्थानीय नगरीय निकायों को |
- (ix) स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था।
- (x) तालाब, नदी व अन्य वाटर बाडी के संरक्षण व विकास हेतु।
- (xi) भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु।
- 7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण) में निजी भागीदारी और निवेश हेतुः
- (क) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकर्ता अथवा भागीदार द्वारा दीर्घावधि (25–30 वर्षों) लीज पर निकाय की भूमि एवं स्थानीय निकाय से ठोस अपशिष्ट की आवश्यकता हो :

किसी निजी इकाई/निवेशक/गैर सरकारी संगठन द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता की मांग के, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु राज्य के किसी भी स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय निकायों के समूह—क्षेत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार/निदेशालय/निकाय को विज्ञापन के सापेक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। यह समिति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पी.पी.पी. प्रोजेक्ट के लिए निर्गत गाइडलाइन्स—2016 के अनुसार परियोजना लागत के अनुसार गठित होगी। समिति द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति हेतु संस्तुति दी जाएगी। स्थानीय निकाय की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:

- (i) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध आवश्यक भूमि को पट्टे पर 1 रूपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक किराये पर दिया जायेगा |
- (ii) विकासकर्ता को उपलब्ध करायी गयी भूमि का उपयोग स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि हेतु नहीं किया जायेगा |
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि को बंधक नहीं रखा जायेगा |
- (iv) नगर में जनित ठोस अपशिष्ट निःशुल्क परियोजना स्थल पर नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

- (v) भूखंड तक पहुँच मार्ग/विद्युत/पानी/मार्ग प्रकाश/जल निकासी/सीवर आदि की सुविधा का विकास स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। विकासकर्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होने वाले उत्पादों अथवा समवर्ती उत्पादों को बेचने हेतु अधिकृत होगा |
- (vi) योजना का कियान्वयन तीन वर्ष में न होने पर भूमि स्वतः निकाय को वापस हो जायेगी।
- (ख) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकों अथवा भागीदारों को 35% तक Viability Gap Funding की आवश्यक हो अथवा उपभोग होने वाले ठोस अपशिष्ट हेतु प्रति टन टीपिंग फीस की अथवा उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर प्रति यूनिट शुल्क की अथवा उत्पादित कम्पोस्ट पर प्रति इकाई शुल्क की मांग हो |

अपशिष्ट ऊर्जा, अपशिष्ट से पैलेट, अपशिष्ट से कम्पोस्ट, प्लास्टिक से तेल आदि परियोजनायें सामान्यतः इस वर्ग में आती हैं। ऐसी सार्वजानिक —िनजी—भागीदारी पर आधारित परियोजनाओं हेतु विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया शासन द्वारा पी.पी.पी. प्रोजेक्ट हेतु जारी आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा |

(ग) ऐसे मामलों में जहाँ ठोस अपशिष्ट के द्वार—द्वार संग्रहण की गतिविधि शामिल हो और आवेदक संगठन द्वारा इसके लिए स्थानीय निकाय से कोई धन की मांग न की जा रही हो |

ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक संगठन ठोस अपशिष्ट का द्वार—द्वार संग्रहण हेतु इच्छुक हो और वह स्थानीय निकाय अथवा राज्य से बिना कोई धन लिये उपयोक्ता शुल्क भवन स्वामी से लेकर कार्य हेतु तैयार हो तो उसे वार्ड अथवा वार्डों अथवा पूरे शहर/करबे को अधिकतम पाँच वर्षों हेतु यह कार्य सौंपा जा सकता है | आपसी समझौते के आधार पर इसे आगामी तीन वर्षों हेतु पुनः नवीकृत किया जा सकता है | स्थानीय निकायें उपलब्ध पार्कों अथवा अन्य उपयुक्त जगहों को कम्पोस्टिंग, पृथक्करण और संग्रहित अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु प्रति वर्ग मी० वार्षिक किराया रूपये 1 पर पाँच वर्षों हेतु पट्टे दे सकेंगी। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक से अधिक संगठनों को नियुक्त कर सकेगी | चयनित संगठनों को निकाय ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा सकतें है।

8 डम्पींग / ड्रेजिंग ग्राउण्ड जिनका प्रयोग नहीं हो रहा, उनका प्रबंधन व विकासः

स्थानीय निकाय के abondoned लैण्डिफल साइट की वैज्ञानिक कैपिंग व विकास के कार्य को वन एवं पर्यावरण विभाग,उत्तर प्रदेश की सहायता से सम्पन्न कराया जायेगा। ऐसे स्थलों की सूची नगर विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराएगा जो इन स्थलों की वैज्ञानिक कैपिंग और Landscaping तथा पार्कों अथवा हिरत क्षेत्र के रूप में

विकसित करने हेतु परियोजना का निर्माण करेंगे, परियोजना का निर्माण विकास व अन्य संस्था द्वारा भी किया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान(शहरी) के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने वाली राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् वन विभाग को क्रियान्वयन हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य हेतु CSR के अन्तर्गत भी धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

9 अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा प्रख्यापित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नियम 11—1 में उल्लिख्ति प्रविधानों के अनुक्रम में "उ०प्र० राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति" एतद्द्वारा प्राख्यापित किया जाता है।

उ०प्र० राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति तत्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

संलग्नकः

उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति की प्रति।

भवदीय, ' / ana / 28.6.18 (मनोज कुमार (सिंह) प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8— निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 9— मिशन निदेशक(एस०बी०एम०), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 10— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 11— निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
- 12- निदेशक / अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 13— अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ०प्र० (द्वारा जिलाधिकारी)।
- 14— राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त पॉलिसी की हिन्दी एव अंग्रेजी प्रति संहित प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 15— कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाईल।

आझा से, (राधे कृष्ण) संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन

विषय सूची

उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय	2
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति पर एक नज़र	4
1. 100000 तक की जनसंख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय	4
2. 1,00,000 से 10,00,000 तक की जनसंख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय	4
3. 10,00,000 से अधिक की जनसंख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय	5
नीति की परिकल्पना	
नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य	6
उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति हेतु निदेशक/मार्गदर्शी सिद्वान्त	7
भागीदारों की भूमिका व उत्तरदायित्व	9
।. अपशिष्ट उत्पादक की भूमिका व उत्तरदायित्व	9
॥. जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व -:	10
III. स्थानीय नगरीय निकायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व -:	11
IV. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	17
v. आवास एवं नगर नियोजन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व :	18
VI. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और निजी बिल्डरों कि भूमिका व उत्तरदायित्व :	18
VII. उद्योग विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :	
VIII.राज्य नगरीय विकास अभिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण की भूमिका व उत्तर	द्रायित्व :.19
IX. डिस्पोजेबल उत्पादों तथा सेनेटरी नैपकिन्स और डाइपर के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामियों की	। भूमिका एवं
उत्तरदायित्व :	19
X. ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र तथा अपशिष्ट उर्जा संयंत्रों की 100 कि	
में स्थित औद्योगिक इकाइयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	
क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण :	
आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षण एवं संचार)	
पुराने क्षेपणों का पुनरोद्धार	23
सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान	24
कूड़ा उठाने वालों व कबाड़ी वालों की सहभागिता	25
गैर सरकारी संगठनों ,स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी	26
राज्य सरकार द्वारा सहायता :नीति प्रपत्र	27
ठोस अपशिष्ट से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य	30
परिभाषाए	31

उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय

भारत के अन्तस्थल में स्थित उत्तर प्रदेश ऐसी भूमि है जहाँ संस्कृतियों और धर्मों का विकास हुआ हैं। उत्तरप्रदेश की महानता न केवल इस तथ्य में निहित है कि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप की दो सबसे बड़ी निदयों गंगा और यमुना का संगम हुआ है बल्कि इसमें भी निहित है कि यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक परमपराओं का उद्भव भी हुआ है | प्रत्येक ऐतिहासिक काल में इन विशाल निदयों के किनारे महान नगरों का उद्भव होता रहा | गंगा और यमुना के इन मैदानों में विविध धार्मिक विश्वासों, संस्कारों, संस्कृतियों तथा बौद्धिक मतों का विकास हुआ |



- भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के लगभग 9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है |
- उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसँख्या वाला प्रदेश भी है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं जिसमें से 15.51 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ लोग नगरीय क्षेत्रों में करते हैं।
- 2001-2011 के दौरान यहाँ की शहरी जनसँख्या में कुल 1.09 करोड़ की वृद्धि हुई है | इस प्रकार भारत की कुल जनसँख्या का लगभग 16.50% तथा भारत की कुल शहरी आबादी का लगभग 11.80% उत्तर प्रदेश में निवास करता है |
- भारत के कुल 4041 सांविधिक कस्बो में से 648 (अर्थात
 16%) उत्तर प्रदेश में विद्यमान है|
- 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसँख्या का लगभग 22.28 प्रतिशत नगरीय जनसँख्या है जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 20.78 था अर्थात उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसँख्या महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक है |
- इस प्रकार 2001-2011 के दौरान शहरी जनसंख्या में
 1.50 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

- हालांकि, राज्य में शहरीकरण का स्तर (22.28 प्रतिशत)
 सम्पूर्ण भारत के (31.16 प्रतिशत) आंकड़ों की तुलना में काफी कम है।
- 1991-2001 के दौरान शहरी जनसँख्या में हुई 31.80
 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के विपरीत 2001-2011 के मध्य शहरी जनसँख्या की दशकीय वृद्धि दर 28.82
 प्रतिशत रही।
- प्रशासकीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों के तहत 75 जिलों में बाँटा गया है | ये मण्डल आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूटधाम, झाँसी, देवी-पाटन, फैजाबाद, बरेली, बस्ती, विन्ध्याचल(मिर्ज़ापुर), मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर हैं |
- वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत 653 स्थानीय नगरीय निकाय हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 6264.57 वर्ग किमी.
 है | स्थानीय नगरीय निकायों के तहत 17 नगर निगम (NN), 198 नगर पालिका परिषद् (NNPs)
 और 438 नगर पंचायतें (NPs) हैं |

प्रमुख क्षेत्र

की प्रदेश उत्तर अर्थव्यवस्था का प्रम्ख क्षेत्र कृषि यहाँ मुख्यतः गेंह्ँ, चावल, दार्ले, तिलहन, गन्ना, और आलू जैसी फसर्ले उगाई जाती हैं | गन्ना यहाँ की मुख्य नकदी फसल है । पर्यटन, हार्डवेयर कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर, स्चना प्रौधोगिकी उत्पाद तथा हस्तशिल्प की राज्य अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख अंश हैं |



ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति पर एक नज़र

1. 1,00,000 तक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय

- दो बिन व्यवस्था के तहत घरेलू स्तर / प्रतिष्ठान स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण
 (जैविक तथा प्नर्चक्रण योग्य) |
- घर-घर संग्रहण निजी संस्था अथवा स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा, संग्राहक वाहनों / गाड़ियों में दो बिन की व्यवस्था द्वारा |
- द्वितीयक संग्रहण स्थल पर भी दो बिन व्यवस्था अपना कर |
- भिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन |
- जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को वार्ड स्तर पर स्थापित और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा अथवा आवासीय कल्याण संगठनों द्वारा प्रबंधित वर्मी-कम्पोस्टिंग इकाई में भेजा जाना चाहिए |
- स्थानीय कूड़ा उठानेवालों और कबाड़ीवालों को पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ना तथा
 उनके द्वारा पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने पर उनका मूल्य चुकाना |
- यदि निकट में कोई औद्योगिक इकाई न हो तो दहनशील पदार्थ (RDF) सामग्री को निकटस्थ किसी बड़े स्थानीय नगरीय निकाय में भेज दिया जायेगा जहाँ से इस सामग्री को आगे किसी औद्योगिक इकाई को भेजा जायेगा |
- निष्क्रिय अपशिष्ट अवशेष को निकटस्थ लैंडिफिल स्थल पर भेजा जायेगा (जोकि 10% से अधिक नहीं होगा) |

2. 1,00,000 से 10,00,000 तक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय

- दो बिन व्यवस्था के तहत घरेलू स्तर / प्रतिष्ठान स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण (जैविक तथा पुनर्चक्रण योग्य) |
- घर-घर संग्रहण निजी संस्था अथवा स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा, संग्राहक वाहनों / गाड़ियों में भी दो बिन की व्यवस्था द्वारा |
- द्वितीयक संग्रहण स्थल पर भी दो बिन व्यवस्था अपना कर |
- भिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन |
- जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को नगर स्तर पर स्थापित और निजी संस्था
 अथवा नागरिक संगठनों द्वारा प्रबंधित वर्मी-कम्पोस्टिंग इकाई में भेजा जायेगा |

- स्थानीय कूड़ा उठानेवालों और कबाड़ीवालों को पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ना तथा
 उनके द्वारा पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने पर उनका मूल्य चुकाना |
- RDF सामग्री को निकटस्थ औद्योगिक इकाई में भेजा जायेगा |
- निष्क्रिय अपशिष्ट अवशेष को निकटस्थ लैंडिफिल स्थल पर भेजा जायेगा (जोकि 10% से अधिक नहीं होगा) |

3. 10,00,000 से अधिक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय

- तीन बिन व्यवस्था के तहत घरेलू स्तर / प्रतिष्ठान स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण|
- घर-घर संग्रहण निजी संस्था अथवा स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा, संग्राहक वाहनों / गाड़ियों में भी तीन बिन की व्यवस्था होगी |
- द्वितीयक संग्रहण स्थल पर भी दो बिन व्यवस्था अपना कर |
- भिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन |
- जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को नगर स्तर पर स्थापित और निजी संस्था अथवा नागरिक संगठनों अथवा आवासीय कल्याण संगठनों द्वारा प्रबंधित कम्पोस्टिंग इकाई में भेजा जायेगा |
- स्थानीय कूड़ा उठानेवालों और कबाड़ीवालों को पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ना तथा
 उनके द्वारा पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने पर उनका मूल्य चुकाना |
- RDF सामग्री को (पीपीपी मोड पर) अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना हेतु भेजा जायेगा |
- निष्क्रिय अपशिष्ट अवशेष को निकटस्थ लैंडिफल स्थल पर भेजा जायेगा (जोिक 10% से अधिक नहीं होगा) |

समस्त स्थानीय नगरीय निकायों को निम्नलिखित से सम्बंधित नियम बनाने चाहिये:

- स्रोत स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण और उपभोक्ता शुल्क लगाये जाने हेतु ।
- कूड़ा फ़ैलाने को प्रतिबंधित किये जाने हेत् |
- अपशिष्ट को जलाने सम्बन्धी |
- खुले में शौच सम्बन्धी |

नीति की परिकल्पना

यह नीति जिस दृष्टिकोण को अग्रसर करती है वह है:

एक ऐसे स्वस्थ, समृद्ध एवं संसाधन संपन्न समाज का निर्माण जिसमें जहाँ तक संभव एवं हितकर हो अपशिष्ट का प्रतिषेध, न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, एवं पुनर्चक्रीकरण किया जाये और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से उसका निपटान किया जाये

नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस नीति के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- उत्तर प्रदेश के शहरों व कस्बों में स्वस्थ, स्वच्छ और रहने योग्य पर्यावरण हेतु स्वच्छता सम्बन्धी उच्च मानकों की प्राप्ति |
- 2. अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण तथा नगर पालिकीय ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के अधिकतम उपयोग व पुनर्प्राप्ति पर बल दिया जायेगा जिससे लैंडिफिल स्थल पर भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम करना सुनिश्चित हो सके |
- 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नीति का विकास राज्य में एक विकेंद्रीकृत/एकीकृत एवं लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को तैयार करने, क्रियान्वित करने तथा संचालित किए जाने के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क व अन्य स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त राजस्व प्रवाह हेतु किया गया है |

इस नीति का समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है

"उत्तर प्रदेश की अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी होने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देने वाला होना चाहिये।"

4. साझेदारी, बिक्री अथवा पुनरुपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गये अपशिष्ट स्रोतों यथा उच्च मूल्य वाले पुनर्चक्रित, निम्न मूल्य वाले पुनर्चक्रित, कम्पोस्ट, दहनशील पदार्थ (RDF)

- को अपशिष्ट ऊर्जा उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाकर इनका अनंतिम उपयोग अथवा शोधन स्निश्चित करना |
- 5. अपशिष्ट के स्रोतों, प्रकृति, मात्रा और स्थिति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़े व सूचनायें अपशिष्ट संबंधी नियमन व प्रबंधन में पर्याप्त रूप से व्यापक और विश्वसनीय हैं विशेषतः अपशिष्ट उत्पादन की रोकथाम, पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्चक्रण में प्रभावी रूप से सहायक हैं |
- 6. एक विकेंद्रीकृत/एकीकृत एवं लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के इष्टतम विकास व संचालन की प्राप्ति हेतु अंशधारकों, संस्थानों और संगठनों में उनकी भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति पर्याप्त जागरूकता व समझ अवश्य होनी चाहिए |

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति हेतु निर्देशक/मार्गदर्शी सिद्धांत

जनसँख्या वृद्धि और नगरीकरण के साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन राज्य हेतु एक व्यापक चुनौती के रूप में उभरा है | समय के साथ-साथ न केवल अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है अपितु विभिन्न प्रकार के नए-नए उत्पादों, उपकरणों और संयंत्रों के आने से अपशिष्ट के अभिलक्षणों में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं |


पृथक्करण, संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उचित तरीके से ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण पर पड़ने वाले अपशिष्ट के दुष्प्रभाव को न्यूनतम बना देता है | स्थानीय नगरीय प्राधिकारी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंकरण तथा निस्तारण हेतु अवसंरचना के विकास हेतु उत्तरदायी हैं | उत्तर प्रदेश की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

- स्रोत स्तर पर न्यूनीकरण व पुनरुपयोग : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट उत्पादन के प्रतिषेध एवं पुनरुपयोग के विकल्प को बढ़ावा देंगे | ये न केवल अपशिष्ट के प्रबंधन, शोधन व निस्तारण व्यय को कम करने में सहायक होगा अपितु पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों यथा लीचिंग, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होगा |
- अपशिष्ट पुनर्चक्रण: पृथक्करण, संग्रहण, और पुनर्प्रसंकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त पुनरूपयोगी पदार्थीं द्वारा नए उत्पादों का निर्माण अगला प्रमुख विकल्प होगा |
- अपशिष्ट द्वारा कम्पोस्टिंग : जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैविक अंश को कम्पोस्ट किया जाना चाहिये और इसका उपयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि हेत् किया जाना चाहिये |

- अपशिष्ट ऊर्जा: जहाँ अपशिष्ट से पदार्थ पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है वहाँ ऊष्मा, विद्युत अथवा ईंधन उत्पादन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति को प्राथमिकता दी जा सकेगी | जैव- मिथेनेशन, प्लास्टिक से तेल, अपशिष्ट से पैलेटों, अपशिष्ट दहन, अवशिष्ट व्यत्पन्न ईंधन (RDF) का उत्पादन, तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट से पृथक किए गये सूखे अवशिष्ट के सह-प्रसंस्करण को "अपशिष्ट से उर्जा" प्रौद्योगिकी के तहत सामान्य रूप से अपनाया जायेगा |
- अपशिष्ट निस्तारण: शेष बचे हुए अपशिष्ट को जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय अनुपयोगी पदार्थ शामिल होते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप निर्मित किए गये सैनिटरी लैंडफिलों में निस्तारित किया जाना चाहिए | लक्ष्य यह निर्धारित किया जाना चाहिये कि लैंडफिल स्थलों तक न्यूनतम अपशिष्ट पहुंचे (अधिकतम 10%)
- स्रोत स्तर पर प्रभावी पृथक्करण: स्रोत स्तर के साथ ही प्रसंस्करण इकाईयों पर दो कूड़ेदान और पृथक्करण की व्यवस्था | घरेलू खतरनाक अपशिष्टों जैसे कि बैटरी, ब्लेड, रेजर आदि का पृथक रूप से एकत्रीकरण व देखरेख की जानी चाहिए |
 - 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर रोक का प्रभावी क्रियान्वयन |
 - अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण |
 - एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिये | अपशिष्ट न्यूनीकरण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से ऊर्जा सम्बंधी रणनीतियाँ तथा लैंडिफल गैस का नियंत्रण व उपयोग जिन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को घटाने की प्रमुख रणनीतियां हैं |
 - समुचित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा |
 - वर्ष के 365 दिन निश्चित समय पर अपशिष्ट का 100% संग्रहण और यह सुनिश्चित करना कि एक बार घरों से एकत्र हो जाने के पश्चात् यह पुनः जमीन पर न पहुंचे |
 - नियत परिवहन |
 - अधिकतम संसाधनों की प्राप्ति वार्डों में सामग्री प्राप्ति केन्द्रों की स्थापना |
 - प्रदूषणकर्ता भुगतान करे- स्थानीय नगरीय निकायों को दण्ड शुल्क में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये यथा कूड़ा फैलाने हेतु 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग हेत् 50,000 रुपये |
 - दैनिक सड़क की सफाई मुख्य सड़कों व बाज़ारों में मुख्यतः रात्रि में सफाई |
 - कूड़ा बीनने वालों के लिए सामाजिक एवं स्वास्थ्य बीमा |
 - प्रभावी आई.ई.सी. और क्षमता संवर्धन |

भागीदारों की भूमिका व उत्तरदायित्व

- अपशिष्ट उत्पादकों की भूमिका व उत्तरदायित्व
 - 1. प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को चाहिए कि :
 - स्वयं द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को तीन विभिन्न प्रकारों में यथा जैवनिम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल),
 अजैव-निम्नीकरणीय (नॉन-बायोडिग्रेडेबल),
 खतरनाक घरेलू अपशिष्ट में पृथक कर उचित प्रकार के कूड़ेदानों में एकत्र करे और इस



पृथक्कृत अपशिष्ट को समय-समय पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार या अधिसूचनानुसार अधिकृत कूड़ा उठानेवाले को अथवा अपशिष्ट संग्राहक को सौंपे | इस हेतु स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा कूड़ेदानों के लिए तीन रंगों वाली योजना की सूचना जारी की जानी चाहिये |

- उपयोग किए जा चुके सेनेटरी अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सेनेटरी पैड्स आदि को निर्माता द्वारा अथवा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार उपयुक्त पदार्थ में लपेट कर सूखे कूड़े हेतु निर्धारित कूड़ेदान में अथवा अजैव-निम्नीकरणीय (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट हेतु निर्धारित कूड़ेदान में रखे |
- दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापरियों द्वारा उक्त स्थल पर ही पृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण |
- जब और जैसे भी निर्माण एवं ध्वन्स जिनत अपशिष्ट उत्पन्न हो उसे स्वयं के पिरसर में पृथक रूप से एकत्रित करे और स्थानीय नगरीय निकाय इसका निस्तारण निर्माण एवं ध्वन्स जिनत अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुरूप करे, और
- समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा जारी निर्देशानुसार घरों अथवा परिसरों से उत्पन्न होने वाले उद्यानीय अपशिष्ट तथा बाग़-बगीचे वाले अपशिष्ट को स्वयं के परिसर में ही पृथक रूप से एकत्रित व निस्तारित करे |
- 2. कोई भी अपशिष्ट उत्पादक स्वयं द्वारा उत्पादित किए गये ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजानिक स्थलों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा न ही जलाएगा अथवा गाड़ेगा |
- 3. प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ऐसे उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि स्थानीय निकाय की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया जाए |

- 4. कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी अननुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा |
- 5. प्रत्येक सड़क विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा यथा भोज्य-अपशिष्ट,डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि, और इन्हें स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा |
- 6. सभी आवास कल्याण तथा बाज़ार संघ स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार स्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जिनत अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किए जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्ता को सौंपेंगे | जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव-निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव-मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्राहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |
- 7. समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेंट्स जिनके पास 5000 वर्ग मी. का क्षेत्र है स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार स्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जिनत अपिशष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपिशष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किए जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपिशष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्ता को सौंपेंगे | जहाँ तक संभव हो अपिशष्ट के जैव-निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को पिरसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव- मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपिशष्ट के अविशष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपिशष्ट संग्राहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |

II. जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:-

- 1. जिलाधिकारी, राज्य नगर विकास विभाग के सचिव के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए अपने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के उपनियम (एफ) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण इकाई की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि के अभिनिर्धारण व आवंटन को सुलभ बनाकर स्थानीय प्राधिकरणों को सुविधा एवं सहायता उपलब्ध करायेगा |
- 2. प्रत्येक स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता शासनादेश संख्या : 4520/नौ-8-2017-153जे/2017 दिनांक 10 अक्टूबर,2017 के अनुरूप अगले छः माह में करायी जानी होगी |

3. जिलाधिकारी तिमाही कम से कम एक बार अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और निस्तारण से सम्बंधित स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और आयुक्त अथवा निदेशक, स्थानीय निकाय तथा सचिव, राज्य नगर विकास विभाग के साथ परामर्श कर स्थारात्मक उपायों को अपनायेगा |

III. स्थानीय नगरीय निकायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:-

> उपविधियों का निर्माण और संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण :

- 1. स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट फैलाने और जलाने को दंड सिहत निषिद्ध किए जाने हेतु उपविधि का निर्माण करेंगे | कूड़ा फैलाने हेतु कम से कम 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों (50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले) के उत्पादन, विक्रय और उपयोग हेतु न्यूनतम 50,000 रुपये दंड निर्धारित किया जाना चाहिए |
- 2. स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण व पृथक्करण हेतु उपयोगकर्ता शुल्क को निर्दिष्ट करते हुए उपविधि का निर्माण करेंगे |
- 3. स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण हेतु निजी संचालकों को नियुक्त कर सकेंगे, जहाँ संचालक गृह स्वामियों अथवा प्रतिष्ठानों से उपयोगकर्ता शुल्क हेतु मोल-भाव कर सकेगा |
- 4. प्रत्येक नगर निगम और नगर पालिका परिषद वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का गठन करेंगे |
- 5. राज्य नीति की अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर राज्य, नीति के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का निर्माण करेगा और इसकी एक प्रतिलिपि सरकार को जमा करेगा।
- 6. समस्त कूड़ा उठाने वालों का पंजीकरण कर उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये जाएगे।

प्राथमिक संग्रहण :

- 1. स्रोत स्तर पर ही अपशिष्ट के पृथक्करण को सुनिश्चित करना, पुनर्प्राप्ति, पुनरुपयोग व पुनर्चक्रण द्वारा अपशिष्ट से द्रव्य/धन की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना | तीन बिन (क्इेदान) प्रणाली का अनुसरण (हरित अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट) |
- 2. मिलन बस्तियों व अनौपचारिक बसावों, व्यापारिक, संस्थानिक तथा अन्य अनावासीय परिसरों सिहत समस्त घरों से पृथक्कृत ठोस अपिशष्ट के द्वार-द्वार एकत्रण की व्यवस्था करना | बहुमंजिली इमारतों, वृहद् व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों, मॉलों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों आदि से सम्बंधित मामलों में इस अपिशष्ट का संग्रहण प्रवेश-द्वार से अथवा किसी अन्य निर्धारित स्थान से किया जा सकता है |

- 3. अपशिष्ट उठानेवालों अथवा अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों के संगठनों की पहचान की व्यवस्था विकसित करना तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित एवं प्रोत्साहित करना जिसके माध्यम से इन अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन सहित अपशिष्ट के द्वार-द्वार एकत्रण की प्रणाली में भागीदारी निभाने हेतु एकीकृत किया जा सके।
- 4. स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहयोग प्रदान करना तत्पश्चात इन्हें अपशिष्ट के द्वार-द्वार एकत्रण सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था से एकीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करना |
- 5. सफाई कर्मियों व अन्य लोगों को निर्देशों के साथ-साथ इस बात की शिक्षा प्रदान करना कि वे ठोस अपशिष्ट, सड़क सफाई के दौरान एकत्र हुई पेड़ की पत्तियों को न जलायें तथा इन्हें पृथक रूप से भंडारित कर स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत संस्था/अभिकरण को अथवा अपशिष्ट संग्राहक को सौंपे |
- 6. सब्जी, फल, फूल, मीट, मछली और मुर्गा/पोल्ट्री बाजारों से दैनिक रूप से अपशिष्ट का एकत्रण किया जाना और बाजारों में उपयुक्त स्थल पर अथवा उनके निकट स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रित कम्पोस्ट प्लांट अथवा जैव- मिथेनेशन प्लांट स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित करना |
- 7. एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसके द्वारा मंडियों, सब्जी एवं फल बाजारों से अपशिष्ट को एकत्र कर कान्हा गौशाला के लिए भेजा जा सके | भारत सरकार और राज्य सरकार के कृषि तथा उद्यान संस्थानों से कान्हा गौशाला का लिंक स्थापित करना जिससे कि इन संस्थानों को जानवरों के चारे व खाने के बदले में खाद की आपूर्ति की जा सके |
- 8. उद्यानों, पार्कों तथा बगीचों के अपशिष्ट का पृथक् रूप से एकत्रण और जहाँ तक संभव हो इनका पार्कों अथवा बगीचों में ही निस्तारण करना |
- 9. उपयोग किए जा चुके सेनेटरी अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सेनेटरी पैड्स आदि को निर्माता द्वारा अथवा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा उपयुक्त पदार्थ में लपेट कर खतरनाक अपशिष्ट हेतु निर्धारित कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए |
- 10. अपशिष्ट के थोक व संस्थानिक उत्पादकों, बाजार संगठनों, समारोह आयोजकों तथा होटलों व रेस्टोरेंटों को अपशिष्ट के पृथक्करण व वर्गीकरण हेतु सीधे तौर पर उत्तरदायी बनाया जायेगा और स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी के माध्यम से वे इसका प्रबंधन करेंगे |

- 11. समस्त होटल व रेस्टोरेंट्स जैव-विघटनीय अपशिष्ट का पृथक्करण करेंगे और संग्रहण की ऐसी प्रणाली स्थापित करेंगे अथवा स्थानीय निकाय दवारा स्थापित संग्रहण की व्यवस्था का पालन करेंगे जिससे कि ऐसे खाद्य अपशिष्ट का उपयोग कम्पोस्टिंग/बायो- मिथेनेशन स्निश्चित हो सके |
- 12. समस्त आवास कल्याण, बाजार संगठन, निवासी समुदाय व संस्थान, जिनके पास 5000 वर्ग मी. से ज्यादा का क्षेत्र है, स्रोत स्तर पर ही मूल्यवान सूखे अपशिष्ट यथा प्लास्टिक, टिन, काँच, पेपर, आदि का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्ता अथवा स्थानीय नगरीय निकाय को सौंपंगे | जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव-विघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव- मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्राहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |
- 13. नई टाउनिशपों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जैव-विघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट के प्रबंधन व प्रसंस्करण की आन्तरिक व्यवस्था विकसित करने हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये |
- 14. प्रत्येक सड़क विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा यथा भोज्य-अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि, और इन्हें स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा |
- 15. स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे घरो, एकीकृत टाउनिशपों और अत्याधुनिक टाउनिशपों को सम्पत्ति कर में छूट प्रदान करनी चाहिए जो शून्य अपशिष्ट उत्पादित करते हों |
- 16. एक ऐसी प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिये जिसके तहत अपशिष्ट का संग्रहण करने वाले सफाई कर्मचारी अपशिष्ट को पुनः घरेलू स्तर पर ही पृथक कर सकें इसके साथ ही उन्हें पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने तथा इससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिये | यह उचित पृथक्करण को सुनिश्चित करेगा |
- 17. सफाई कर्मचारियों की निगरानी व उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आई.सी.टी. प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये |

> द्वितीयक संग्रहण स्थल

- 1. प्रत्येक द्वितीयक संग्रहण स्थल पर दो कूड़ेदानों की व्यवस्था को सुनिश्चित करना |
- 2. वार्डों में पर्याप्त स्थानयुक्त सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थलों अथवा द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों की स्थापना करेंगे जिससे कि अनौपचारिक अथवा अधिकृत कूड़ा उठाने वाले व अपिशष्ट संग्राहक अपिशष्ट से पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रियों को पृथक करने में सक्षम हो सकें | पृथक्कृत पुनर्चक्रणयोग्य अपिशष्ट यथा पेपर, प्लास्टिक, धातुओं, ग्लास, कपड़ों आदि के स्रोत स्थल अथवा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थल से एकत्रण हेतु कूड़ा उठाने वालों व पुनर्चक्रणकर्त्ताओं की पहुँच को सुगम बनाना |
- 3. घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्रों की स्थापना करना तथा अपशिष्ट उत्पादकों को निर्देश जारी करना कि वे घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु उसे इन केन्द्रों में निक्षेपित/जमा करें | इस तरह के सुविधा केंद्र प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में बीस वर्ग किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए स्थापित किये जायेंगे और इन केंद्रों पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को प्राप्त करने के समय को सूचित किया जायेगा
- 4. जहाँ पर सीधे परिवहन वाहन में सीधे संग्रहण किया जाना असुविधाजनक हो वहाँ पर सड़क सफाई व नालियों से निकली गाद/कचड़े के अस्थायी भण्डारण हेतु बंद द्वितीयक सुविधा केंद्र स्थापित किये जायेंगे |

> अपशिष्ट का परिवहन

- 1. पृथक्कृत जैव-विघटनीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधा स्थलों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव-मिथेनेसन प्लांट, अथवा ऐसी किसी अन्य सुविधा स्थल को किया जायेगा | ऐसे अपशिष्ट के ऑन-साईट प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये |
- 2. गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट का संबंधित प्रसंस्करण सुविधा स्थल अथवा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थलों अथवा द्वितीयक संग्रहण सुविधा स्थल में परिवहन किया जायेगा |
- 3. समस्त अपशिष्ट का पृथक्कृत रूप में बंद वाहनों के माध्यम से परिवहन किया जायेगा |
- 4. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में लगे हुए वाहनों की निगरानी हेतु आई.सी.टी. तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीकी |

अपशिष्ट का प्रसंस्करण

- 1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अंशों के अधिकतम उपयोग हेतु स्वयं आवास कल्याण समितियों द्वारा अथवा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अथवा किसी अभिकरण/एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व उससे सम्बंधित अवसंरचनाओं के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध कराना | परिवहन व्यय तथा पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम रखने हेतु विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये यथा -
 - क) जैव- मिथेनेशन, सूक्ष्मजैवीय-कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, अवयवीय विघटन अथवा जैव-विघटनीय अपशिष्ट के जैव-स्थिरीकरण हेतु कोई अन्य उपयुक्त प्रक्रिया |
 - ख) अपशिष्ट के दहनशील अंश हेतु अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन सहित अपशिष्ट से उर्जा प्रक्रिया अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों य सीमेंट भट्ठों हेतु फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति |
- 2. अपशिष्ट- ऊर्जा परियोजनाओं, प्लास्टिक से तेल निर्माण की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सुविधा उपलब्ध कराना |

> अक्रिय अपशिष्ट का निस्तारण:

- 1. मिश्रित अपशिष्ट के क्षेपण (डंपिंग) को रोकना | निस्तारण केवल निर्दिष्ट सेनेटरी लैंडफिल स्थल पर करना |
- 2. लैंडिफिल स्थल पर मात्र अनुपयोगी, पुनर्चक्रण-अयोग्य, जैव-अविघटनीय, अ-दहनशील और अक्रियाशील अक्रिय अपिशष्ट तथा अपिशष्ट प्रसंस्करण इकाई द्वारा पूर्व-प्रसंस्करण त्यक्त व अविशष्ट अंशों को ही ले जाने की अनुमित दी जानी चाहिये | तथापि लैंडिफिल स्थल तक शून्य अपिशष्ट भेजे जाने के वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अविशष्ट के पुनर्चक्रण व प्नरुपयोग के हर संभव प्रयत्न किए जाने चाहिये |
- 3. समस्त पुराने खुले क्षेपण स्थलों (डंप साइट) और मौजूदा संचालित क्षेपण स्थलों की जैव-खुदाई (बायो-माइनिंग) व जैव-उपचारण (बायो-रेमेडिएशन) क्षमता का निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए और जहाँ कहीं संभव हो इन स्थलों की जैव-खुदाई एवं जैव-उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाई की जानी चाहिये |

- 4. क्षेपण स्थलों में जैव- खुदाई (बायो-माइनिंग) व जैव-उपचारण (बायो-रेमेडिएशन) क्षमता न होने की स्थिति में इन स्थलों को लैंडिफल कैपिंग मानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से ढक दिया जाना चाहिये जिससे कि इसके द्वारा पर्यावरण को हो सकने वाली किसी भी क्षिति को रोका जा सके |
- 5. स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लैंडफिल स्थलों को नगर एवं देश नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गये मास्टर प्लान में अवश्य समाहित किया गया हो |
- 6. स्थानीय नगरीय निकाय अपने सेनेटरी लैंडफिल स्थलों का विकास करेंगे |

अन्य गतिवधियां :

- 1. आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु वार्षिक योजना तैयार करना और शैक्षिक संस्थानों में आई.ई.सी. गतिविधियों को बढ़ावा देना |
- 2. दैनिक क्रियाकलापों में निषिद्ध प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना और जितना भी प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादित हो उसका उपयोग सड़क निर्माण हेत् किया जाये |
- 3. निर्माण एवं ध्वंस जनित अपशिष्ट को पृथक रूप से भंडारित किया जाना चाहिये और निर्माण एवं ध्वंस जनित अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार इसका पृथक रूप से निस्तारण किया जाना चाहिये |
- 4. जैव-चिकत्सकीय अपशिष्ट का निस्तारण जैव चिकित्सा नियम के अनुरूप किया जाना चाहिए | स्थानीय नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि जैव-चिकत्सकीय अपशिष्ट नगरीय अपशिष्ट के साथ मिश्रित न होने पाये |
- 5. विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक इकाई व औद्योगिक पार्क के विकासकर्ताओं हेतु कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5% भाग अथवा न्यूनतम 5 प्लाट/शेड को पुनर्प्राप्ति व पुनर्चक्रण की सुविधा स्थापित करने हेतु छोड़े जाने का मानक नियत किया जाना चाहिये |
- 6. डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे कि टिन, ग्लास, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि को बाजार में प्रस्तुत करने वाले समस्त निर्माता अथवा ब्रांड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे |
- 7. स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों व बगीचों में और इसके क्षेत्राधिकार के अंदर जहाँ कहीं भी संभव हो दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को समाप्त कर कम्पोस्ट का प्रयोग किया जायेगा | अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण सेक्टर के माध्यम से पुनर्चक्रण सम्बन्धी पहलों को सहयोग उपलब्ध कराया जा सकता है | कृषि संस्थानों व पार्कों में स्थापित कम्पोस्ट प्लांटों द्वारा उत्पादित खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना |
- 8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी हेतु स्थानीय नगरीय निकाय ई-दखल को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे |

IV. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

- 1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :
 - क) राज्य के भीतर, स्थानीय निकायों के माध्यम से उनके क्षेत्राधिकारों में इन नियमों का प्रवर्तन करवायेगा और निदेशालय, नगरपालिका प्रशासन अथवा राज्य के नगर विकास विभाग के सचिव के साथ निकटस्थ समन्वय से वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों को कार्यान्वित किए जाने की समीक्षा करेगा |
 - ख) पर्यावरणीय मानकों और अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण स्थलों हेतु अनुसूची-। व अनुसूची-॥ में नियत विशिष्ट शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा |
 - ग) अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण स्थलों की स्थापना हेतु स्थानीय निकाय द्वारा अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी अन्य अभिकरण/एजेंसी द्वारा फॉर्म-। के तहत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण कर जैसा भी उचित हो वैसी जांच करेगा |
 - **घ)** अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान अन्य अभिकरणों यथा राज्य नगर विकास विभाग, जिला विकास विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जिला नियोजन सिमिति अथवा महानगरीय क्षेत्र नियोजन सिमिति, हवाई अड्डा अथवा एयरबेस प्राधिकरण, भू-जल बोर्ड, रेलवे, विद्युत वितरण कम्पनीज़, राजमार्ग विभाग व अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के सम्बंधित अधिनियमों के तहत आवश्यक सहमति और विचारों को ध्यान में रखा जायेगा और इन्हें अपना मंतव्य, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया जायेगा |
 - इ) स्थानीय निकाय या किसी सुविधा प्रचालक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को प्रारूप 2 में साठ दिन की अविध के भीतर प्राधिकार जारी किया जाएगा। जिसमें यथाआवश्यक अन्य शर्तों सिहत अनुसूची 1 और 2 में यथाविनिर्दिष्ट अनुपालन मापदंड और पर्यावरण मानक अधिकथित हों।
 - च) ऐसे प्राधिकार की विधिमान्यता सहमतियों की विधिमान्यता के साथ समकालिक होगी।
 - **छ)** यदि स्थानीय प्राधिकरण या सुविधा प्रचालक सुविधा का प्रचालक विहित शर्तों के अनुसार करने में असफल रहता है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खंड (क) के अधीन जारी उक्त प्राधिकार को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा। परन्तु यथास्थिति, स्थानीय निकाय या प्रचालक को सूचना दिये बिना ऐसे कोई प्राविधान निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा और
 - ज) नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, प्रत्येक आवेदन की गुणागुण के आधार पर परीक्षण करने के पश्चात और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सुविधा के प्रचालन में नियमों के सभी उपबन्धों, प्राधिकार, सहमित या पर्यावरण अनापित्त में विनिर्दिष्ट मानकों या शर्तों को पूर्ण कर दिया है, अगले पाँच वर्षा के लिए प्राधिकार का नवीनीकरण करेगा।"

- 2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात प्राधिकार अनुदत्त करने या नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।
- 3. नई प्राद्योगिकियों के मामले में, जहाँ सथास्थिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कोई मानक विहित नहीं किया गया है, मानक विनिर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेदन करेगा।
- 4. यथा निर्दिष्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति जब कभी उचित समझे किन्तु वर्ष में कम से कम से एक बार, यथाअभिहित अथवा अधिकथित मानकों तथा यथानुमोदित उपचार प्रौद्योगिकी तथा प्राधिकार में निर्दिष्ट शर्तों व नियमों के अधीन अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा |
- 5. खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण स्थल पर अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा निक्षेपित खतरनाक घरेलू अपशिष्ट के सुरक्षित देखरेख व निस्तारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर सकेगा |
- 6. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट के अंतर राज्यीय संचालन को विनियमित कर सकेगा |

V. आवास एवं नगर नियोजन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व :

- 1. 200 से अधिक घरों अथवा 5000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड के ग्रुप-हाउसिंग, अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों अथवा किसी भी अन्य अनावासीय काम्प्लेक्स के लिए बनायी जाने वाली विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु पृथक्करण व भण्डारण हेतु पृथक स्थान का सीमांकन/निर्धारण सुनिश्चित करना |
- 2. यह सुनिश्चित करना कि राज्य के प्रत्येक शहर हेतु निर्मित महायोजना/मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व निस्तारण की सुविधा स्थापना हेतु स्पष्ट मानक प्रावधान किये गए हों |
- 3. स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित/सीमांकित किये गये लैंडफिल स्थलों को अपनी महायोजना/मास्टर प्लान में समाविष्ट करना |
- 4. शासनादेश संख्या 563/8-3-12-27 विविध/08 दिनांक 02.03.2012 के समुचित क्रियान्वयन को स्निश्चित करेगा |
- 5. क्षेत्रीय योजनाओं में सेनेटरी लैंडफिल स्थल हेतु जगह उपलब्ध करायेगा |
- 6. स्थानीय नगरीय निकायों को आवश्यकतानुसार उनकी योजनाओं के तहत अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों हेतु जगह उपलब्ध करवायेगा |

VI. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और निजी बिल्डरों कि भूमिका व उत्तरदायित्व:

- 1. सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिक अथवा आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाये जाने के दौरान ही अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थान का निर्धारण अवश्य कर दिया गया हो |
- 2. सभी शून्य अपशिष्ट उत्पादक सम्दाय बनाने का प्रयास करेंगे |

VII. उद्योग विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

- 1. विस्तारित उत्पादक दायित्वों के तहत राज्य के समस्त उद्योगों को जहाँ तक संभव हो पुनर्चक्रण हेतु पैकेजिंग पदार्थ को वापस एकत्र किये जाने के लिए अधिसूचित करेगा |
- 2. राज्य के ऐसे समस्त उद्योगों को जहाँ अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन(RDF) का उपयोग होता है, निर्देशित करेगा कि वे निकटस्थ स्थानीय नगरीय निकाय से (100 किमी की परिधि) अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF) उठायें |

VIII. राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की भूमिका व उत्तरदायित्व :

- 1. यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्वयं सहायता समूह, शहरी गरीब इलाके और शहरी गरीब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बंधित स्थानीय नगरीय निकाय की नवपहल को सहयोग प्रदान करें |
- 2. घर घर संग्रहण, पृथक्करण और वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट को चलाने हेतु गरीबों के समूह गठित करने का प्रयत्न करेंगे | इस उद्देश्य हेतु ये गरीबों को प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने हेत् एन0यू0एल0एम0 और अन्य योजनाओं के अंतर्गत धन का उपयोग कर सकेंगे |

IX. डिस्पोजेबल उत्पादों तथा सेनेटरी नैपिकन्स और डायपर के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

- 1. समस्त ब्रांड स्वामी, जो अपने उत्पादों को ऐसे पैकेजिंग पदार्थ में बेचते अथवा प्रचारित करते हैं जो कि जैविक रूप से विघटनीय न हों, एक ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिसके तहत उनके उत्पादों के कारण उत्पादित पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस इकट्ठा किया जा सके |
- 2. सेनेटरी नैपिकन्स और डायपर्स के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामी अथवा उनके विपणन की कम्पिनयाँ उनके उत्पादों में पूर्णतः पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगायेंगे अथवा अपने सेनेटरी उत्पाद के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपिकन व डायपर के निस्तारण हेतु थैले अथवा रैपर उपलब्ध कराएंगे |
- 3. ऐसे समस्त निर्माता, ब्रांड स्वामी अथवा विपणन कम्पनियाँ उनके उत्पादों को उचित रूप से रैप कर निस्तारित किए जाने के प्रति जनता को शिक्षित/जागरूक करेंगे |

X. ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र तथा अपशिष्ट उर्जा संयंत्रों की 100 किमी की परिधि में स्थित औद्योगिक इकाइयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

1. समस्त औद्योगिक इकाइयाँ जो कि ईंधन का उपयोग कर रही हों और ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन संयंत्र से 100 किमी की परिधि में अवस्थित हों इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात छः माह के भीतर अपनी कुल ईंधन आवश्यकता के कम से कम 5% भाग को उत्पादित किए जा रहे अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन से बदल देगा |



क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण :

इस नीति के सन्दर्भ में, यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रदेश भर में स्थानीय नगरीय निकायों और विभागों की दक्षता में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सुधार की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रशिक्षण एक महतवपूर्ण घटक है | यह सर्वज्ञात है कि क्षमता संवर्धन एक दीर्घ कालिक प्रक्रिया है और मांग तथा आपूर्ति से संबन्धित सेवा प्रदायता हेतु जिसके लिए राज्य व स्थानीय नगरीय निकायों के स्तर पर निरंतर व्यवस्थित प्रयत्नों की आवश्यकता है |

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्षमता संवर्धन सम्बंधित दृष्टिकोण में न केवल तकनीकी और आर्थिक पक्ष समाहित होने चाहिए अपितु निम्न को भी आच्छादित किया जाना चाहिये :

- अपशिष्ट प्रबंधन और उससे सम्बंधित क्रिया-कलापों हेतु प्रशासनिक प्रणाली को समझना (बह्आयामी तथा अंतर-क्षेत्रीय)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर परिणामों हेतु मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को समझाना |
- उन्नत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्राप्ति हेतु सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण सहित अच्छी प्रणालियों व स्शासन को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान केन्द्रित करना |
- उपलब्धियों को बनाये रखने हेत् रणनीतियों का निरूपण करना |



आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षण एवं संचार)

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें जन भागीदारी ही सफलता की कुंजी है | बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबिक इसमें समुदाय की व्यापक एवं प्रभावी भागीदारी हो | सूचना, शिक्षण और संचार (आई.ई.सी) आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं | स्वच्छ पर्यावरण हेतु नवीन प्रणाली की मांग को पूर्ण किये जाने हेतु समुदायों तथा



विभिन्न भागीदारों के मध्य जागरूकता के लिये प्रत्येक स्तर पर विस्तृत समझ का होना आवश्यक है | इस योजना के अन्तर्गत मुख्य जोर सामुदायिक

भागीदारी पर होने वाला है | जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के माध्यम से नगर निगम के प्राधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया, व्यापार संघों, परिवारों और सामान्य जन को वृहद् स्तर पर लिक्षित किया जाना चाहिए | आई.ई.सी का प्रमुख उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि :

- स्रोत स्तर पर पृथक्करण की अवधारणा व आवश्यकता क्यों है,
- स्रोत स्थल पर ही अपशिष्ट को दो पृथक ग्राहियों में भंडारित किए जाने की आवश्यकता है एक जैव अपशिष्ट हेतु और दूसरा पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए,
- घरों में अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण में तथा उसे अपशिष्ट संग्राहक को सौंपे जाने में नागरिकों की भूमिका,
- अपशिष्ट संग्रह और निपटान सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता,
- सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदानों के प्रयोग करने की आवश्यकता,
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट का प्रभाव |

लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेत् निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है :

- घर-घर जा कर पर्चीं, ब्रोशर, होर्डिंग, बैनर, हैंडबिल, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से जागरूकता व अभिप्रेरक कार्यक्रमों के संचालन द्वारा |
- रैलियाँ आयोजित करके |
- प्रमुख अवसरों पर उत्सव आयोजित करके (जैसे पर्यावरण दिवस),
- नुक्कड़ नाटकों के आयोजन द्वारा |
- सामूहिक सफाई -स्वच्छता अभियान द्वारा |
- स्कूल कार्यक्रमों को आयोजित करके

- स्कूलों में इको-क्लबों का गठन तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन |
- एनसीसी, एनएसएस, स्काउटस की भागीदारी के साथ साथ सिने कलाकारों, राजनैतिक एवं धार्मिक नेताओं की भागीदारी |
- प्रतियोगिताओं के माध्यम से पुरस्कार प्रदान करना)यथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वार्ड स्तर की स्वच्छता प्रोत्साहन समिति, इको हाउस, क्लीन हाउस (
- घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना |
- जन संचार के माध्यमों द्वारा
 - प्रिंट मीडिया (नियमित अंतराल पर विज्ञापन)
 - टेलीविजन, केबल टीवी, रेडियो और वेबसाइट
- सिनेमा हॉल "स्लाइड्स का प्रदर्शन"
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सामुदायिक स्वयंसेवकों हेतु व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी) सम्बन्धी जागरूकता कार्यशाला |
- पारस्परिक सम्प्रेषण(आईपीसी) , सामुदायिक स्वयंसेवकों और सहायक संगठनों के माध्यम से प्रत्येक घर से संपर्क स्थापित करना, इन स्वयंसेवकों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार को संदेश सुनाया जायेगा और उस पर उनकी राय भी ली जाएगी । संदेशों के प्रसार और व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी)हेतु अभिसरण सिद्धांत को अपनाते हुए इसमें धार्मिक नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, युवा संगठनों, महिला मंडलों, आवास कल्याण समितियों, और पूर्व-रिकॉर्ड किए ह्ये धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्मितित किया जायेगा ।
- स्रोत पर पृथक्करण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आवास कल्याण समितियों (RWAs), समुदाय आधारित संगठनों(CBOs), गैर सरकारी संगठनों(NGOs) / स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और बाजार संगठनों की भागीदारी आवश्यक है । स्थानीय नगरीय निकाय के कर्मचारियों और आवास कल्याण समितियों(RWAs) के प्रतिनिधियों, बाजार संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों(NGOs)/स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा अन्य भागीदारों के बीच नियमित बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि समुदाय इस व्यवस्था का अभ्यस्त हो सके ।
- प्रत्येक वार्ड में स्वयंसेवकों अथवा प्राकृतिक नेताओं से युक्त वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति की भागीदारी सुनिश्चित करना जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अग्रणी प्रचारकों के रूप में कार्य करेंगे और अपशिष्ट मुक्त उत्तर प्रदेश हेतु शपथ लेंगे | प्रत्येक समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे |

अग्रणी गैर-सरकारी संगठनों / विज्ञापन एजेंसियों की भागीदारी के साथ आईईसी गतिविधियों को प्रारम्भ किया जाएगा। इन एजेंसियों द्वारा आई.ई.सी. अभियान हेतु नियम-पुस्तिका, फ्लिपचार्ट्स व अन्य मीडिया संचार जैसी आवश्यक सामग्रियों को तैयार किया जा सकता है |



पुराने क्षेपणों का पुनरुद्धार

स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा वर्षों से नगरपालिकीय ठोस अपशिष्ट को क्षेपण स्थल (डंप यार्ड) पर प्रसंस्करण के बिना ही क्षेपित किया जा रहा है । अतः प्रसंस्करण संयंत्र व वैज्ञानिक भुमिभरण(लैंडफिल) सुविधा की स्थापना के अलावा स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा क्षेपण स्थलों का समयबद्ध तरीके से उद्धार



किया जाना चाहिए | क्षेपणों के पुनरूद्धार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अन्तर्गत एक मुख्य घटक बनाया गया है | पुराने क्षेपण स्थलों में दबे हुए पुराने अपशिष्ट को ट्रैक्टर-हैरो द्वारा कई बार जुताई कर ढीला किया जाता है | फिर इस पर एक टैंकर-ट्रक द्वारा उच्च दबाव वाले पंप से कम्पोस्टिंग जैव-कल्चर का छिडकाव किया जाता है | इसे वयुपंक्तियों (विन्ड्रोज़) के रूप में निर्मित



कर प्रत्येक सप्ताह जेसीबी द्वारा पलटा जाना चाहिये | पलटने के प्रत्येक चरण पर किराये के कूड़ा बीनने वालों द्वारा दबे हुए पुनर्चक्रण योग्य सामानों को पृथक किया जायेगा जिसके उनके पारिश्रमिक की आंशिक प्रतिपूर्ति हो सकेगी | तीन-चार सप्ताह तक पलटने के पश्चात अपशिष्ट सूख जायेगा तथा उसका परिमाण घट जायेगा और अब यह हस्तचालित अथवा मशीन चालित सामान्य छलनी द्वारा छाने जाने हेत् तैयार होगा | प्रसंस्करण संयंत्र व वैज्ञानिक

भूमिभरण सुविधा की स्थापना के एक वर्ष के भीतर क्षेपण पुनरूद्धार की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए |

कई मामलों में जैव खनन की यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं भी हो सकती है | अतः ऐसे त्यक्त क्षेपण स्थलों पर वैज्ञानिक कैपिंग तथा भूदृश्यों, उद्यानों व हरित क्षेत्रों का विकास राज्य के वन और पर्यावरण विभाग की मदद से किया जायेगा |

सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान

नगरपालिकीय ठोस अपशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत सेनेटरी श्रमिकों हेतु आवश्यक औजारों व सामान सिहत पर्याप्त सुरक्षात्मक वस्त्र एवं सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान शामिल होंगे | इसके अतिरिक्त स्थानीय नगरीय निकाय अपने सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे |












कूड़ा उठाने वालों व कबाड़ी वालों की सहभागिता

भारत में कूड़ा उठाने वाले अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण में बह्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । भारत में, स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा मात्र 30-60% तक ही अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता है जबकि कूड़ा उठाने वालों द्वारा 15-25% तक अपशिष्ट संग्रहण का अन्मान है । लगभग 10 लाख शहरी गरीब अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में लगे हुए हैं । तथापि देश की अधिकांश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जुड़ी योजनाओं ने किसी न किसी तरह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन




से जुड़े इस अनौपचारिक क्षेत्र को पृथक रखा हुआ है । यह परिदृश्य इस तथ्य के बावजूद है कि यदि इस वर्ग को शहरों और कस्बों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की मुख्यधारा से एकीकृत कर दिया जाए तो शहरी गरीबों को सुरक्षित आजीविका प्रदान करने के साथ-साथ उच्च लागत वाले गहन ऊर्जा प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने के व्यय को कम करने हेतु एक सुविधाजनक स्थिति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है ।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां छोटे आकार के स्थानीय नगरीय निकाय राज्य भर में फैले हुए हैं और शहरी आबादी का घनत्व बहुत अधिक है, वहाँ कूड़ा उठाने वालों के माध्यम से जैव-विघटनीय अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत कम्पोस्टीकरण और जैव-अविघटनीय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को अपनाये जाने की आवश्यकता है | अतः राज्य की नगरपालिकीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में कूड़ा उठाने वालों और कबाड़ी वालों की नेटवर्किंग अनिवार्य हो जाती है | इसलिए उन्हें पहचान पत्र और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराये जाने को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए |

गैर सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्याप्त सामुदायिक भागीदारी की कमी से जूझ रहा है । नगर पालिका के मौजूदा कानून अपशिष्ट फैला कर स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों हेतु घरों



/ भवन स्वामियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई के प्रावधान करते हैं जैसे कि कूड़ा आदि फ़ैलाने जैसे उल्लंघनों हेत् जुर्माना । राष्ट्रीय हरित और अधिकरण माननीय न्यायालयों ने भी नियमों के उल्लंघन और पर्यावरणीय क्षति सम्बन्धी मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे वसूले जाने के सिद्धांत निर्धारित किये हैं । तथापि, दंडात्मक कार्रवाई अब तक प्रमुख निवारक साबित नहीं हो सकी है | जिसका कारण

प्रवर्तन में कमी और अत्यंत कम जुर्माने हैं | साथ ही, जनता द्वारा अक्सर आने वाले स्थानों में प्रावधानों का प्रचार किया जाना चाहिये (खाने-पीने के स्थान, खरीदारी स्थल) |

नगर पालिकीय ठोस अपशिष्ट का सफल क्रियान्वयन और प्रबंधन बहुत हद तक कूड़ा फ़ैलाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के कठोर प्रवर्तन से सम्बंधित है | स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा अपनी उप-विधियों में जुर्माने की राशि का पर्याप्त मात्रा में संशोधन कर इसे निवारक बनाते हुये तत्काल इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये |

राज्य सरकार द्वारा सहायता नीति प्रपत्र :

1. राज्य सरकार को उन स्थानीय नगरीय निकायों की सहायता बढ़ा देनी चाहिए जिनके द्वारा इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ठोस अपिशष्ट सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए समयोचित एवं प्रभावी कदम उठाये गये गये हों | राज्य सरकार द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग तथा अवसंरचना के तहत धन अवमुक्त किया जायेगा जो कि स्थानीय नगरीय निकायों के ठोस अपिशष्ट प्रबंधन और उनके राजस्व उत्पादन/संग्रह की प्रदर्शन क्षमता पर निर्भर करेगा |

सहायता/प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित रूपों में हो सकेगी :

- (i) अपशिष्ट न्यूनीकरण हेत् प्रोत्साहन |
- (ii) वार्ड तथा स्थानीय नगरीय निकाय को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) बनाने हेतु |
- (iii) द्वार-द्वार संग्रहण, पृथक्करण, कूड़ा फ़ैलाने को निषिद्ध किए जाने और उपयोक्ता शुल्क लागू किये जाने सम्बंधी नियमों के निर्माण हेत् प्रोत्साहन |
- (iv) उपयोक्ता श्रूक के 100% संग्रहण हेत् प्रोत्साहन |
- (v) "शून्य अपशिष्ट" उत्पादक स्थानीय नगरीय निकाय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहन
- (vi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों से कबाड़ी वालों, कूड़ा उठाने वालों व स्वयं सहायता समूहों आदि जैसे अनौपचारिक वर्ग को एकीकृत करने वाले स्थानीय नगरीय निकाय को प्रोत्साहन |
- (vii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यथा उपस्थिति, सफाई कार्यों के संचालन जियो-टैगिंग, और जीपीएस आधारित अपशिष्ट का परिवहन आदि की निगरानी हेतु ई-शासन उपकरणों का उपयोग करने वाली स्थानीय नगरीय निकायों को प्रोत्साहन |
- 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण) में निजी भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये |
 - क) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकर्ता अथवा भागीदार की आवश्यकता मात्र दीर्घाविध (25-30 वर्षों) लीज पर भूमि और स्थानीय नगरीय निकाय से ठोस अपशिष्ट की हो :

किसी निजी इकाई/निवेशक/गैर सरकारी संगठन/संगठन द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता की मांग के, ठोस अपिशष्ट प्रबंधन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु राज्य के किसी भी स्थानीय नगरीय निकाय अथवा स्थानीय नगरीय निकायों के समूह-क्षेत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव एक बार अथवा अनेकों बार सरकार/निदेशालय को उपलब्ध कराया गया हो तो ऐसे प्रस्ताव को इस उद्देश्य के लिए गठित

राज्य स्तरीय समिति द्वारा जांचा जायेगा और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमितयां ऐसी सिमिति की सिफारिशों के आधार पर दी जाएगी, जो कि स्थानीय नगरीय निकाय की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हो | ऐसी अनुमित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:

- i. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय के पास उपलब्ध आवश्यक भूमि को पट्टे पर 1 रूपये / वर्ग मी वार्षिक किराये पर दिया जायेगा |
- ii. विकासकर्त्ता को उपलब्ध करायी गयी भूमि का उपयोग अनुमत परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि हेतु नहीं किया जायेगा |
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि को बंधक नहीं रखा जायेगा |
 - iv. भूखंड तक पहुँच मार्ग/विद्युत/पानी/मार्ग प्रकाश/जल निकासी/सीवर आदि की सुविधा का विकास स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा | विकासकर्त्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होने वाले उत्पादों अथवा समवर्ती उत्पादों को बेचने हेतु अधिकृत होगा |
 - ख) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकों अथवा भागीदारों को 35% तक व्यवहार्यता अंतर राशि की सुरक्षा आवश्यक हो अथवा उपभोग होने वाले ठोस अपशिष्ट हेतु प्रति टन बख्शीश/टिप की अथवा उत्पादित विद्युत उर्जा पर प्रति यूनिट शुल्क की अथवा उत्पादित कम्पोस्ट पर प्रति इकाई शुल्क की आवश्यकता हो |

अपशिष्ट ऊर्जा, अपशिष्ट से पेलेट, अपशिष्ट से कम्पोस्ट,प्लास्टिक से तेल आदि परियोजनायें सामान्यतः इस वर्ग में आती हैं | ऐसी सार्वजानिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु विकासकर्त्ता के चयन की प्रक्रिया में शासन द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा |

ग) ऐसे मामलों में जहाँ नगरपालिकीय अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की गतिविधि भी शामिल हो और आवेदक संगठन द्वारा इसके लिए स्थानीय नगरीय निकाय से कोई धन न लिया जा रहा हो |

ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक संगठन ठोस अपशिष्ट के द्वारा-द्वार संग्रहण को किए जाने हेतु इच्छुक हो और वह स्थानीय नगरीय निकाय अथवा राज्य से बिना कोई धन लिये मोलभाव के आधार पर उपयोक्ता शुल्क को घरों अथवा भवन स्वामी से लिए जाने हेतु तैयार हो तो उसे वार्ड अथवा वार्डों अथवा पूरे शहर / कस्बे को अधिकतम पाँच वर्षों हेतु सौंपा जा सकता है | आपसी समझौते के आधार पर इसे आगामी तीन वर्षों हेतु पुनः नवीकृत किया जा सकता है | उपर्युक्त पैरा 2 के खंड (अ) के अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय देगी | स्थानीय नगरीय निकायें उपलब्ध

पार्कों, भूमिभरण स्थलों अथवा अन्य उपयुक्त जगहों को कम्पोस्टिंग, पृथक्करण और संग्रहित अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु प्रति वर्ग मी0 वार्षिक किराया रूपये 1 पर तीन वर्षों हेतु पट्टे पर देगी। स्थानीय नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक से अधिक अभिकरणों को नियुक्त कर सकेगी |

3. त्यक्त भूमि भरण स्थलों का प्रबंधन

विभाग अथवा स्थानीय नगरीय निकाय त्यक्त भूमि भरण स्थलों की वैज्ञानिक कैपिंग के कार्य को वन एवं पर्यावरण विभाग की सहायता से संपन्न करेंगे | ऐसे भूमि भरण स्थलों की सूची नगर विकास विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराएयेगा जो ऐसे स्थलों की वैज्ञानिक कैपिंग और विकास भूदृश्यों अथवा पार्कों अथवा हिरत क्षेत्र के रूप में करने हेतु परियोजना का निर्माण करेंगे | स्वच्छ भारत अभियान(शहरी) के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को अनुमित प्रदान करने वाली सिमिति के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें क्रियान्वयन हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा |

ठोस अपशिष्ट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

कं0सं0	अपशिष्ट के श्रेणी	भारत में प्रतिवर्ष उत्पन्न अपशिष्ट	उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष उत्पन्न अपशिष्ट
1	ठोस अपशिष्ट	6.2 करोड टन	5.47 लाख टन
2	प्लास्टिक अपशिष्ट	56 लाख टन	
3	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट	1.7 लाख टन	
4	हानिकारक अपशिष्ट	79 लाख टन	
5	ई— कचरा	15 लाख टन	

भारत में एकत्रित एवं उपचारित अपशिष्ट की स्थिति

कं0सं0	कचरे के श्रेणी	वार्षिक राशि
1	एजेन्सियों द्वारा एकत्रित अपशिष्ट	4.3 करोड टन
2	उपचारित	1.19 करोड टन
3	निचले क्षेत्रों में फेका गया अपशिष्ट	3.10 करोड टन
4	अपशिष्ट के संग्रहण में शहरी स्थानीय निकायों के अंश	75—80 प्रतिशत
5	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कुल संग्रहण में उपचारित अपशिष्ट	22—28 प्रतिशत

विविध अपशिष्टों के विघटन में लिया गया समय-

कं0सं0	अपशिष्ट के श्रेणी	वर्षो में समय
1	प्लास्टिक का थैला	20-1000
2	प्लास्टिक की बोतल	400
3	पॉलिस्टीन कप	50
4	प्लास्टिक कोटेड पेपर कप	30
5	कॉच की बोतल	1000000
6	डिस्पोज़ल योग्य नैपकिन	450
7	एल्युमिनियम के डिब्बे	80—200
8	सिगरेट का टुकड़ा	1-5
9	मोम की परत वाला दूध का डिब्बा	3 महीने
10	कागज की तौलिया	2–4 सप्ताह

परिभाषाऍ-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में उल्लिखित कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित है:

- 1. **वातजीवी कम्पोस्टीकरण (Aerobic Composting**)ः से आक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अन्तवर्लित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत हैं।
- 2. **अवायुजीवी उपचारण (Anaerobic Digestion)**: से आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अन्तवर्लित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।
- 3. प्राधिकार (Authorisation) से यथास्थिति राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा किसी प्रसुविधा के प्रचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के उत्तर दायित्व किसी और अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा अभिप्रेत है।
- 4. जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट (Biodegradable Waste) से कोई कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सुक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है।
- 5. जैविक मिथेनीकरण (Biomethanation)से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है।
- 6. **ब्रांड स्वामी (Brand Owner)** से कोई व्यक्ति या कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी रिजस्टीकृत ब्राण्ड लेवल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।
- 7. मध्यवर्ती परिक्षेत्र (Buffer Zone) से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जायेगा। इसे ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जायेगा।
- 8. भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक (Bulk Waste Generator) इसके अन्तर्गत औसतन 100 किलोग्राम प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनसे केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राईवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी हैं।
- 9. **उपविधि (Bye-laws)** से स्थानीय निकाय, जनगणना शहर और अधिसूचित क्षेत्र टाउनिशप द्वारा अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में इन नियमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढाँचा अभिप्रेत है।
- 10. जनगणना नगर (Census Town) से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा परिभाषित शहरी क्षेत्र अभिप्रेत है।
- 11. ज्वलनशील अपशिष्ट (Combustible Waste) से प्लास्टिक, काष्ठ लुग्दी आदि जैसे क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर—जैव अवक्रमणीय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर—पुनः उपभोज्य—गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत हैं जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से न्यूनतम कैलोरिफिक मान हो।
- 12. **कम्पोस्टीकरण (Composting)** से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अन्तवर्लित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।

- 13. **ठेकेदार (Contarctor)** से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है।
- 14. सह प्रसंस्करण (Co-processing) से प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईधनों को प्रतिष्ठापित करने या उन्हें अनुपूरित करने, दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर—जैव अवक्रमणीय या गैर—पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है।
- 15. विकेन्द्रित प्रसंस्करण (Decentralized Processing) से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्त्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।
- 16. निपटान (Disposal)— से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पिक्षयों के आकर्षण को रोकने के लिए अनूसुची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंकरण के उपरान्त अविशष्ट ठोस अपिशष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा, करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान अभिप्रेत हैं।
- 17. घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट (Domestic Hazardous Waste) से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फैके हुए पेन्ट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी०एफ०एल० बल्ब, ट्यूबलाइटें, अविध समाप्त औषिधयों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइया तथा सिरिन्ज और संदूषित पट्टियॉ आदि अभिप्रेत हैं।
- 18. द्वार— द्वार संग्रहण (Door to Door Collection)— से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्य या संस्थागत काम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वारा या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत हैं।
- 19. **शुष्क अपशिष्ट (Dry Waste)** से जैव— निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैस पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाहा अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपिकन और डायपर आदि अपशिष्ट भी हैं।
- 20. **क्षेपण स्थल (Dump Sites)** से जिसका स्वास्थ्यकर भूमिभरण के लिए सिद्धांतों को पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गई कोई भूमि अभिप्रेत हैं।
- 21. विस्तारित उत्पादक दायित्व (Extended Producer Responsibility) से पैकेजिंग उत्पादों के जीवन काल के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए, पैकेजिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, कांच और कॉरूगेटेड बक्सों इत्यादि के किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व अभिप्रेत हैं।
- 22. **सुविधा (Facility)** में ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रकियाएँ अर्थात पृथक्करण पुनःप्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किया जाता है।
- 23. जुर्माना (Fine) से इन नियमों तथा / अथवा उप—विधियों के निर्देशों के अनुपालन के लिए उपविधियों के अधीन अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रसंस्करण के प्रचालकों और निपटान सुविधाओं पर लगाए गए जुर्माना अभिप्रेत हैं।
- 24. प्ररूप (Form) से इन नियमों से उपबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं।
- 25. **प्रहस्तन (Handling)** के अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनःप्राप्ति, संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गढ़ा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित सभी कियाकलाप भी हैं।

- 26. निष्किय (Inert) से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनःचक्रणीय या दाह नहीं है, गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकली गई धूल तथा गाद भी हैं।
- 27. **भरमीकरण (Incineration**) से उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्वलित इंजीनियरीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत हैं।
- 28. **अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक (Informal Waste Collector)** के अन्तर्गत व्यष्टि, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चकणीय सामग्रियों की छंटाई, विकय और खरीद से अंतर्विलत हैं।
- 29. **निक्षालितक (Leachate)** से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमें घूली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व हैं।
- 30. स्थानीय निकाय (Local Body) से अभिप्रेत इन नियमों के प्रयोजन के लिए और जिसके अंतर्गत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, म्यूनिसिपल कौंसिल, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, म्युनिसपल बोर्ड, नगर पंचायत, और टाउन पंचायत, जनगणना नगर, अधिसूचित क्षेत्र और भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक नगरी चाहे उसका कोई भी नाम से पुकारा जाए, भी हैं।
- 31. सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (Material Recovery Facility-MRF) से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहाँ गैर कंपोस्टीय ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित कोई अन्य अस्तित्व या इसमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे परिदान या देने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित अस्तित्व द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले, अनौपचारिक पुनर्चकणकर्ता या कोई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण, छंटाई या पुनर्चकण योग्य की पुनप्राप्ति की प्रसुविधा हैं।
- 32. अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (Non-Biodegradable Waste) से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थाई यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता हैं।
- 33. **सुविधा का प्रचालक (Operator of a Facility)** से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए सुविधा का स्वामी है या प्रचलित करता है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी हैं।
- 34. प्राथमिक संग्रहण (Primary Collection) से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्त्रोत जिसके अन्तर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी है से या किसी संग्रहण बिन्दु या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विर्निदिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत हैं।
- 35. प्रसंस्करण (**Processing**) से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनः चिकत या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है।
- 36. **पुनर्चकण (Recycling)** से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत हैं, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा।
- 37. **पुनर्विकास (Redevelopment)** से जहाँ विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएँ जीर्णशीर्ण हो गई है वहाँ उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुननिर्माण अभिप्रेत हैं।
- 38. कचरा व्युत्पन्न ईंधन (Refused Derived Fuel –RDF) से ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और सहंनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित वाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत हैं।

- 39. **अविशष्ट ठोस अपशिष्ट (Residual Solid Waste)** से और उसके अंतर्गत ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है, से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है।
- 40. स्वास्थ्यकर भूमिभरण (Sanitary Land Filling) —से अविशष्ट ठोस अपिशष्ट के अंतिम और सुरिक्षत निपटान और भूजल, सतही जल या क्षणमंगुर वायु धूल, हवा से उड़ा हुआ कूड़ाकरकट, दुर्गन्ध, अग्नि परिसंकट, पशुओं का खतरा, पिक्षयों का खतरा, नाशकजीव, कृंतकनाशी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपयों सिहत प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपिशष्ट अभिप्रेत है।
- 41. स्वास्थ्यकर अपशिष्ट (Sanitary Waste) से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकर तौलिए या नैपिकन, टैम्पोन, कन्डोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है।
- 42. अनुसूची (Schedule) -से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- 43. गौण भंडारण (Secondary Storage) —से प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या एमआरएफ या आधानों पर संग्रहण के पश्चात् ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है।
- 44. **पृथक्करण** (**Segregation**) —से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्ट, गैर पुनःचक्रणयोग्य दाह्य योग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भी है, की छंटाई और पृथक भंडारण अभिप्रेत है।
- 45. **सेवा प्रदाता (Service Provider)** —से जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि अभिप्रेत हैं।
- 46. वोस अपशिष्ट (Solid Waste) से ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में वर्णित अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर—आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्ट और ई—अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियों सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है।
- 47. **छंटाई करना (Sorting)** —से मिश्रित अपशिष्ट से पुनःचक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गी जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनःचक्रण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है।
- 48. स्थिरीकरण (Stabilising) से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपघटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षलन या अरूचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, भू कटाव नियंत्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है।
- 49. मार्गविक्रेता (Street Vendor) —से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खडंजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, सौदा, खाद्य मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत फेरीवाला, पैकार, आबादकर तथा ऐसी सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, भी हैं और मार्ग विक्रय शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तद्नुकूल किया जाएगा।
- 50. बख्शीश फीस (Tipping Fee) से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य अभिकरण द्वारा कोई फीस या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए अवधारित संदत्त है।

- 51. अंतरण स्थल (Transfer Station) से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है।
- 52. परिवहन (Transportation) से ठोस अपशिष्ट जो वह या तो उपचारित आंशिक उपचारित या अनुपचारित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गन्ध, कूड़ा कचरा और घृणित दशा को रोकने के लिए प्रवहन अभिप्रेत है।
- 53. **उपचार (Treatment)** —से किसी अपशिष्ट के भौतिक, रसायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है।
- 54. **उपयोक्ता फीस (User Fee)** से ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने में अपशिष्ट जनित पर स्थानीय निकाय और नियम—2 में वर्णित किसी अस्तित्व द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है।
- 55. **कृमि कम्पोस्ट बनाना (Vermi -Composting)** से केचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में सपंरिवर्तित करने की जैव निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है।
- 56. अपशिष्ट जिनेत्र (Waste Generator) से और इसके अंतर्गत सिम्मिलित से, रेल तथा रक्षा स्थापनाओं सिहत प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय स्थापनाएं भी है, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, अभिप्रेत है।
- 57. अपशिष्ट की क्रमबद्धता (Waste Hierarchy) से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू—भरण में निपटान को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा।
- 58. अपशिष्ट चुनने वाला (Waste Picker/Rag Picker) से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्त्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं।

UTTAR PRADESH STATE SOLID WASTE MANAGEMENT POLICY

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Contents

BRIEF	PROFILE OF UTTAR PRADESH	2
AT A C	GLANCE STRATEGY OF SOLID WASTE MANAGEMENT	4
1.	Urban Local Bodies up to 100000 Population	4
2.	Urban Local Bodies from 100000 Population to 1000000 Population	4
3.	Urban Local Bodies above 1000000 Population	4
VISIO	N OF THE POLICY	5
GOAL	S & OBJECTIVES OF THE POLICY	5
GUIDI	NG PRINCIPLES FOR SOLID WASTE MANAGEMENT APPROACH IN UTTAR PRADESH	6
ROLES	S & RESPONSIBILITIES OF STAKE HOLDERS	7
I.	Roles & Responsibilities of Waste Generator:	7
II.	Roles & Responsibilities of District Magistrate:	8
III.	Roles & Responsibilities of Urban Local Bodies:	8
IV.	Roles & Responsibilities of State Pollution Control Board	12
V.	Roles & Responsibilities of Housing & Urban Planning Department:	13
VI.	Roles & Responsibilities of Housing Board, Development Authorities and Private Builders 13	;:-
VII.	Roles & Responsibilities of the Department of Industry	13
VIII Dev	. Roles & Responsibilities of State Urban Development Agency (SUDA) and District Urban velopment Agency's (DUDA):	13
IX. san	Roles & Responsibilities of manufacturers or brand owners of disposable products and itary napkins and diapers	13
X. refu	Roles & Responsibilities of the industrial units located within one hundred km from the used derived fuel and waste to energy plants based on solid waste	14
CAPA	CITY BUILDING AND TRAINING	15
IEC (IN	NFORMATION, EDUCATION AND COMMUNICATION)	16
RECLA	MATION OF OLD DUMPS	18
PROV	ISION OF SAFETY EQUIPMENT	19
INVOL	VEMENT OF RAG PICKERS AND KHABADI WALLAHS	20
INVOL	VEMENT OF NGOS, SELF HELP GROUPS AND COMMUNITY PARTICIPATION	21
SUPPO	ORT BY STATE GOVERNMENT: POLICY INSTRUMENTS	22
IMPO	RTANT FACTS ABOUT SOLID WASTE:	24
ANNE	XURE-1	25
Def	initions	25

BRIEF PROFILE OF UTTAR PRADESH

Embedded in the heart of India, Uttar Pradesh is the land where cultures and religions have evolved. The greatness of Uttar Pradesh lies not only in this confluence, but also in the emergence of cultural and religious traditions along some of the greatest rivers in the Indian sub-continent – the Ganga and the Yamuna. Throughout history, great cities have emerged and established along great rivers. The plains of Ganga and the Yamuna have nurtured diverse religious faith, rituals, culture and intellectual enlightenment.



Uttar Pradesh is the 4th largest state in terms of geographical area covering 9.0 per cent of the country's geographical area.

It is also the most populous state in India consisting of 19.96 crore (199.6 million) inhabitants as per 2011 Census, out of which 15.51 crore live in rural areas and 4.45 crore in urban areas.

There has been a net addition of about 1.09 crore persons in the urban areas during 2001-2011. Thus, about 16.50% of the total population and 11.80% of the urban population of India reside in Uttar

Pradesh. Out of 4041 statutory towns of India 648 (i.e. 16%) exist in Uttar Pradesh.

- Percentage of urban population to total population of the State stands at 22.28 as per 2011 Census whereas; this percentage was 20.78 in 2001. In absolute terms the urban population of Uttar Pradesh is second highest only next to Maharashtra.
- Thus, an increase of 1.50 percentage points has been recorded in the urban population during 2001-2011.

- However, the level of urbanization (22.28%) in the State is quite low as compared to all India figures of 31.16%.
- The decadal growth of urban population during 2001-2011 has been 28.82 per cent as against 31.80 per cent during 1991-2001.
- AdministrativelyUttar Pradesh is divided into 75 districts under 18 divisions which are Agra, Aligarh, Azamgarh, Allahabad, Kanpur, Gorakhpur, ChitrakootDham, Jhansi, Devi Patan, Faizabad, Bareilly, Basti, Vindhyachal (Mirzapur), Moradabad, Meerut, Lucknow, Varanasi and Saharanpur.
- At present there are 653 Urban Local Bodies in the state with total area of 6264.57 sq km. Urban Local Bodies consists of 17 Nagar Nigams (NN), 198 Nagar PalikaParishads (NPPs) and 438 Nagar Panchayats (NPs).

MAJOR SECTOR

The major sector of **Uttar Pradesheconomy** is agriculture. Wheat, pulses, oilseeds, rice, sugarcane, and potatoes are the main crops grown here. Sugarcane is an important cash crop grown here. Tourism, computer hardware and software, information technology products and handicraft are other major contributors to the state's economy.



AT A GLANCE STRATEGY OF SOLID WASTE MANAGEMENT

1. Urban Local Bodies up to 100000 Population

- Segregation of waste at household level/ establishment level- two bin system (organic and recyclable).
- Door to door collection- by private party or the ULB; collection vehicles/ carts to have two bin systems.
- At secondary collection point two bins to be kept.
- Transportation to be in different vehicles.
- Bio-degradable waste to be sent to vermi-composting unit- to be established at ward level and managed by local NGO's or RWAs.
- Local rag-pickers and kabariwalas to be roped-in for segregation and paid out of the sale of recyclables.
- If no nearby Industry is available than RDF material to be sent to nearest big ULB to be further sent to Industry.
- Balance inert waste to be sent to nearest Landfill site (Not more than 10%).

2. Urban Local Bodies from 100000 Population to 1000000 Population

- Segregation of waste at household level/ establishment level- two bin system
- Door to door collection- by private party or the ULB; collection vehicles/ carts to have two bin systems.
- At secondary collection point two bins to be kept.
- Transportation to be in different vehicles.
- Bio-degradable waste to be sent to composting unit- to be established at City level and managed by Private Party/ Civil Society Organizations (CSO).
- Local rag-pickers and kabariwalas to be roped-in for segregation and paid out of the sale of recyclables.
- RDF material to be sent to nearest Industry.
- Balance inert waste to be sent to Landfill site (Not more than 10%).

3. Urban Local Bodies above 1000000 Population

- Segregation of waste at household level/ establishment level- three bin system
- Door to door collection- by private party or the ULB; collection vehicles/ carts to have three bin systems.
- At secondary collection point two bins to be kept.
- Transportation to be in different vehicles.
- Bio-degradable waste to be sent to composting unit to be established at City level and managed by Private Party or CSOs or RWAs.
- Local rag-pickers and kabariwalas to be roped-in for segregation and paid out of the sale of recyclables.
- RDF material to be sent to Waste to Energy Project.(PPP Mode)
- Balance inert waste to be sent to Landfill site (Not more than 10%).

All Urban Local Bodies should make By Laws regarding:

• Segregation of Waste at Source and imposition of User Charges.

- Prohibiting Littering of Waste.
- Burning of Waste.
- Open Defecation.

VISION OF THE POLICY

The vision which this Policy seeks to pursue is:

A healthy, prosperous and resource-efficient society, in which wastes are prevented, reduced, reused and recycled wherever feasible and beneficial, and disposed-off in environmentally safe manner.

GOALS & OBJECTIVES OF THE POLICY

The primary objectives of this Policy are to:

- 1. Achieve high standards of cleanliness in the towns and cities of Uttar Pradesh for healthy, hygienic and liveable environment.
- 2. Emphasis will be on waste reduction, reuse, recycling, recovery and optimum utilization of various components of Municipal Solid Waste (MSW) to ensure minimization of waste going to the landfill and its impact on human health and environment. The strategy will inter alia include technology options for waste to compost and waste to energy.
- 3. The Policy for managing solid wastes is developed to facilitate preparation, implementation and operation of a decentralized / integrated and cost-effective Solid Waste Management System in the state with adequate revenue flow from SWM fee and other sources.

THE OVERALL GOAL OF THIS POLICY IS TO ENSURE

"The system for Managing Solid Wastes in Uttar Pradesh should be financially and environmentally sustainable, and contributes to improved quality of life."

- 4. Ensuring end-use or treatment of recovered waste resources (high value recyclables, low value recyclables, compost, combustible material (RDF) to waste to energy users, either through partnerships, sale or reuse.
- 5. Available data and information on the sources, nature, quantities and fate of wastes, and SWM facilities, is sufficiently comprehensive and reliable

- to be able to regulate and manage wastes effectively helping in waste prevention, recovery and recycling.
- 6. Stakeholders, institutions and organisations must have a sufficient awareness and understanding of their roles, duties and responsibilities in achieving an optimal development and operation of a decentralized/integrated and cost-effective solid waste management system.

GUIDING PRINCIPLES FOR SOLID WASTE MANAGEMENT APPROACH IN UTTAR PRADESH

With increasing population and urbanization, the waste management has emerged as a huge challenge in the State. Not only the waste has increased in quantity, but the characteristics of waste have also changed tremendously over the period with the introduction of new products, gadgets and equipments.

Scientific disposal of solid waste through segregation, collection, treatment and disposal in an environmentally sound manner minimises the adverse impact of waste on the environment. The urban local authorities are responsible for development of infrastructure for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of MSW. The Uttar Pradesh Solid Waste Management Policy is based on following principles:

- Reduction and reuse at source: Urban Local Bodies will promote the options for Solid Waste Management for prevention of waste generation and promoting reuse. It will be helpful in reducing the handling, treatment, and disposal costs and specially reduce various environmental impacts such as leachate, air emissions and generation of greenhouse gases.
- Waste recycling: Recovery of recyclable material resources through a process of segregation, collection and re-processing to create new products shall be the next preferred alternative.
- Waste to composting: As far as possible the organic portion of waste shall be composted and used to improve soil health and agricultural production.
- Waste-to-Energy: Where material recovery from waste is not possible, energy recovery from waste through production of heat, electricity or fuel may be preferred. Bio-methanation, plastics to oil, waste to pellets, waste incineration, production of Refuse Derived Fuel (RDF) and co-processing of the sorted dry rejects from municipal solid waste are to be commonly adopted "Waste to Energy" technology.
- Waste disposal: Remaining residual waste, which are ideally comprised of inerts, shall be disposed in sanitary landfills constructed in accordance with stipulations of the Solid Waste Management Rules, 2016. It should be targeted that minimal waste reaches to Landfill site (not more than 10%).
- **Effective segregation at source** Two bin and segregation at sources and also at the processing units. The domestic hazardous wastes like battery, blade, razors etc. should be collected and handled separately.
- Implementation of effective ban on production, sale and use of plastic carry bags with thickness less than 50 microns.
- Integration of informal sector.
- The integrated Solid Waste Management system shall be environment friendly. Waste minimization, waste recycling, waste-to-energy strategies and landfill gas capture and


use which are promoted in the Solid Waste Management Rules, 2016 are strategies for reduction of greenhouse gases.

- Adequate decentralized waste management system to be promoted.
- 100% collection at fixed time 365 days in a year and ensuring that it does not touches the ground once it is collected from the household.
- Timely transportation.
- Maximum resources recovery establishing material recovery centres in wards.
- Polluters to pay the ULBs should sufficiently raise the fine amount say for littering Rs. 1000 and for manufacturing, sale and use of banned polythene bags Rs. 50,000.
- Daily Road sweeping-preferably night sweeping on main roads and market areas.
- Social and health insurance for rag pickers.
- Effective IEC and Capacity Building.

ROLES & RESPONSIBILITIES OF STAKE HOLDERS



- 1. Every waste generator shall:
 - Segregate and store the waste generated by them in three separate streams namely biodegradable, non-bio-degradable and domestic hazardous wastes in suitable bins and handover segregated wastes to authorised waste pickers or waste collectors as per the directions or notification by the local authorities from time to time. For this purpose ULB shall notify three colour schemes for the dust bins.
 - Wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the
 pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a
 suitable wrapping material as instructed by the local authorities and shall place the
 same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste;
 - Shops, commercial establishments and businesses should store segregated waste onsite.
 - Store separately construction and demolition waste, as and when generated, in own premises and ULB shall dispose-off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; and
 - Store horticulture waste and garden waste generated from premises separately in own premises and dispose of as per the directions of the local body from time to time.
- 2. No waste generator shall throw, burn or burry the solid waste generated by him, on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.
- 3. All waste generators shall pay such user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies.
- 4. No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the local body, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handling over of waste to waste collector or agency as specified by the local body.



- 5. Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his / her activity such as food waste, disposable plates, cups, cans,wrappers, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the local body.
- 6. All resident welfare and market associations shall in partnership with the local body ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed-off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.
- 7. All gated communities, institutions, hotels and restaurants with more than 5,000 sq. mt. area shall in partnership with the local body, ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed-off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

II. Roles & Responsibilities of District Magistrate:-

- 1. Facilitate identification and allocation of suitable land as per clause (f) of rules 11 of Solid Waste Management Rules, 2016 for setting up solid waste processing and disposal facilities to local authorities in his district in close coordination with the Secretary-in-charge of State Urban Development Department.
- 2. The arrangement for land for processing or disposal of solid waste in every local body should be arranged as per the provisions of the Government Order No: 4520 / Nau-8-2017-153 J / 2017 dated 10^{th} October, 2017 in next six months.
- 3. Review the performance of local bodies, at least once in a quarter on waste segregation, processing, treatment and disposal and take corrective measures in consultation with the Commissioner or Director of local bodies and Secretary-in-charge of the State Urban Development.

III. Roles & Responsibilities of Urban Local Bodies:-

> By Laws to be made and strengthening of the organisational structure:

- 1. ULB should prepare a byelaw to prohibit littering and burning of waste with penalty. This penalty for littering should be minimum Rs.1000 and for manufacturing, sale and use of prohibited polythene bags (thickness less than 50 micron) to Rs. 50.000.
- 2. ULB should prepare a byelaw for collection and segregation of waste, specifying user charges.
- 3. The ULBs can also engage private operators for waste collection and processing, where the operator can negotiate the user charges with the household owners or establishments.
- 4. Constitute Ward Swachhata Protsahan Committee in all Nagar Nigam and Nagar Palika Parishad.

- 5. Prepare a solid waste management plan as per State policy within six months from the date of notification of State policy and submit a copy to the State Government.
- 6. Register and issue photo I-cards to all rag pickers.

> Primary Collection:

- 1. Will ensure source segregation of waste, to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. Three bin System shall be followed (Green Waste, Dry Waste, Hazardous Waste).
- 2. Arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. In case of multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location;
- 3. Establish a system to recognise organisations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these informal waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste;
- 4. Facilitate formation of Self Help Groups, and thereafter encourage integration in solid waste management including door to door collection of waste;
- 5. Directions and education to safai karmi and others not to burn solid waste, tree leaves collected from street sweeping and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorised by local body;
- 6. Collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralised compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions;
- 7. Establish a system to collect waste from mandis, vegetable and fruit market for taking it to kanha gaushalas. Develop a linkage with agricultural and horticultural institutes of Government of India or State Government with kanha gaushals for supply of manure to these institutions in lieu of fodder and feed for animals.
- 8. Collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible;
- 9. Used sanitary waste like diapers, sanitary pads should be wrapped securely in pouches provided by manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material and shall place the same in the bin meant for domestic hazardous waste
- 10. Bulk and institutional generators, market associations, event organizers and hotels and restaurants will be made directly responsible for segregation and sorting the waste and manage the same in partnership with local bodies.
- 11. All hotels and restaurants should segregate biodegradable waste and set up a system of collection or follow the system of collection set up by local body to ensure that such food waste is utilized for composting / bio-methanation.
- 12. All Resident Welfare and market associations, gated communities and institution with an area >5,000 sq. mt. should segregate waste at source in to valuable dry waste like plastic, tin, glass, paper, etc. and handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers, or to the urban local body. The bio-degradable waste should be processed, treated and disposed of through composting or biomethanation within the premises as far as possible. The residual

- waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local authority.
- 13. New townships and Group Housing societies should be made responsible to develop in-house waste handling, and processing arrangements for bio-degradable waste.
- 14. Every street vendor should keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits etc. and deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the local authority.
- 15. Relaxation should be given by local body on property tax if zero waste is executed by any households, integrated township and hi-tech township.
- 16. Develop a mechanism that Safai karamchari collecting waste should again segregate at household level, they should be allowed to sell the recyclables and keep the amount with them. This will ensure proper segregation.
- 17. ICT technologies should be used for monitoring and maintaining attendance of Safai Karamcharis.

> Secondary Collection:

- 1. Will ensure two bins at every Secondary Collection Point.
- 2. Setup material recovery facilities or secondary storage facilities in wards with sufficient space for sorting of recyclable materials to enable informal or authorised waste pickers and waste collectors to separate recyclables from the waste. Provide easy access to waste pickers and recyclers for collection of segregated recyclable waste such as paper, plastic, metal, glass, and textile from the source of generation or from material recovery facilities.
- 3. Establish waste deposition centres for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometres or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres;
- 4. Set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body;

> Transportation of Waste:

- 1. Transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for on-site processing of such waste.
- 2. Transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility;
- 3. All waste to be transported in segregated form in covered vehicles.
- 4. ICT technologies should be used for monitoring of vehicle being used in solid waste management like Global Positioning System Technology.

> Processing of Waste:

1. Facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own by RWAs or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to

time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board. Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as-

- a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable wastes;
- b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns;
- 2. Facilitate setting up of waste to energy projects; plastic to oil projects.

> Disposal of Inert Waste:

- 1. Stop dumping of mixed waste. Disposal only at designated sanitary landfill site;
- 2. Allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill. However, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill;
- 3. Investigate and analyse all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and wheresoever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites;
- 4. In absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment. Abandoned landfills to be developed in to green areas or parks.
- 5. Local body shall ensure that their landfill sites are incorporated in master plan prepared by Town and Country Planning Department.
- 6. ULBs to develop their Sanitary Land Fill sites.

> Other Activities:

- 1. Annual action plan made for IEC activities and promote IEC in educational institutions.
- 2. Ban on use of prohibited plastics in daily activities and whatever Plastic wastes generate will be utilized in road construction.
- 3. Construction and demolition waste should be stored, separately disposed-off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
- 4. Bio Medical waste to be disposed as per Bio Medical Rules. The ULB shall ensure that no bio medical waste is mixed in municipal waste.
- 5. The developers of Special Economic Zone, industrial estate, industrial park to earmark at least 5% of the total area of the plot or minimum 5 plots / sheds for recovery and recycling facility.
- 6. All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging etc. or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for the establishment of waste management system.
- 7. Phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector. Encouraging the utilization of compost generated from compost plant in agriculture and parks.

8. ULBs will try to maximize E-Intervention in Monitoring of Solid Waste Management activities.

IV. Roles & Responsibilities of State Pollution Control Board

- 1. State pollution control board shall:
 - a) Enforce these rules in their state through Local Bodies in their respective jurisdiction and review implementation of these rules at least twice a year in close coordination with the Directorate of Municipal Administration or Secretary-in-charge of State Urban Development Department;
 - b) Monitor environmental standards and adherence to conditions as specified under the Schedule -I and Schedule- II for waste processing and disposal sites;
 - Examine the proposal for authorization and make such inquiries as deemed fit, after the receipt of the application for the same in Form -I from the local body or any other agency authorized by the local body;
 - d) While examining the proposal for authorization, the requirement of consents under respective enactments and views of other agencies like the State Urban Development Department, the Town and Country Planning Department, District Planning Committee or Metropolitan Area Planning Committee, Airport or Airbase Authority, the Ground Water Board, Railways, power distribution companies, highway department and other relevant agencies shall be taken into consideration and they shall be given four week time to give their views, if any;
 - e) Issue authorization within a period of sixty days in Form -II to the local body or an operator of a facility or any other agency authorized by local body stipulating compliance criteria and environmental standards as specified in Schedules -I and II including other conditions, as may be necessary;
 - f) Synchronize the validity of said authorization with the validity of the consents;
 - g) Suspend or cancel the authorization issued under clause (a) any time, if the local body or operator of the facility fails to operate the facility as per the conditions stipulated; provided that no such authorization shall be suspended or cancelled without giving notice to the local body or operator, as the case may be;
 - h) On receipt of application for renewal, renew the authorization for next five years, after examining every application on merit and subject to the condition that the operator of the facility has fulfilled all the provisions of the rules, standards or conditions specified in the authorization, consents or environment clearance.
- 2. The State Pollution Control Board shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for reasons thereof to be recorded in writing, refuse to grant or renew an authorization.
- 3. In case of new technologies, where no standards have been prescribed by the Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, as the case may be, shall approach Central Pollution Control Board for getting standards specified.
- 4. The State Pollution Control Board, as the case may be, shall monitor the compliance of the standards as prescribed or laid down and treatment technology as approved and the conditions stipulated in the authorization and the standards specified in Schedules -I and II under these rules as and when deemed appropriate but not less than once in a year.
- 5. The State Pollution Control Board may give directions to local bodies for safe handling and disposal of domestic hazardous waste deposited by the waste generators at hazardous waste deposition facilities.

6. The State Pollution Control Board shall regulate Inter-State movement of waste.

V. Roles & Responsibilities of Housing & Urban Planning Department:-

- 1. To ensure that a separate space for segregation, storage, decentralized processing of solid waste is demarcated in the development plan for group housing or commercial, institutional or any other non-residential complex exceeding 200 dwelling or having a plot area exceeding 5,000 square meters;
- 2. ensure that master plan of every city in the State provides for setting up of solid waste processing and disposal facilities and are clearly earmarked;
- 3. Shall incorporate landfill sites demarcated by the ULBs in their master plan;
- 4. Will ensure proper implementation of Government Order No. 563/8-3-12-27 Misc./08 dated 02.03.2012;
- 5. Will provide space for sanitary landfill site in Regional Plans;
- 6. Will provide space for waste to energy plants in their plans as per requirement of ULB.

VI. Roles & Responsibilities of Housing Board, Development Authorities and Private Builders:-

- 1. All will ensure that while planning for commercial and residential colonies a place is marked for waste management.
- 2. And they should try to become "0" waste producing communities.

VII. Roles & Responsibilities of the Department of Industry

- 1. Will notify all the Industries of the State to take back the packing material as far as possible, for re use by enforcing extended producers responsibility.
- 2. Will also direct the Industries of the state, where RDF can be used, to collect RDF material from the nearest ULBs.(100 km radius)

VIII. Roles & Responsibilities of State Urban Development Agency (SUDA) and District Urban Development Agency's (DUDA):-

- 1. Shall ensure that all the SHG's, urban poor localities & urban poor are supporting the initiative of the ULB for Solid Waste Management.
- 2. Shall try and form groups of poor for door to door collection, segregation and running vermi composting plants. For the purpose they shall use the funds under NULM and other schemes for training and loan to the poor.

IX. Roles & Responsibilities of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers

1. All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.

- 2. Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.
- 3. All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.
- X. Roles & Responsibilities of the industrial units located within one hundred km from the refused derived fuel and waste to energy plants based on solid waste
 - 1. All industrial units using fuel and located within one hundred km from a solid waste based refused derived fuel plant shall make arrangements within six months from the date of notification of these rules to replace at least five percent of their fuel requirement by refused derived fuel so produced.



CAPACITY BUILDING AND TRAINING

In context of this policy, it is recognized that there is a need to improve the efficiency of the State departments and the ULBs across the state through a systematic approach, of which training is an important component. It is understood that capacity development is a long-term process that requires systematic and continuous effort at State as well as ULB level, both from the demand and supply perspective of service delivery.

The approach to capacity building in SWM shall not only be about technology and economics but also should cover:

- Understanding the administrative systems for waste management and related activities (multidisciplinary and cross-sectoral).
- Understanding the need for human resource development to achieve better results in SWM.
- Focus on building sound institutions, promoting good practices and good governance for attaining improved SWM.
- Delineating strategies for sustenance of achievements.



IEC (INFORMATION, EDUCATION AND COMMUNICATION)

Solid Waste Management is an activity in which public participation holds the key to success. Implementation of better solid waste management can be achieved only if there is active and effective community participation. Information, Education



and Communication (IEC) activities play major role in achieving the success of the implementation of modern SWM. Awareness amongst the community and different stakeholders to meet the

demands of the new system for a cleaner environment requires a detailed and thorough understanding at every stage. Involvement of community is going to be the main thrust of the programme. Awareness and education campaigns should target municipal authorities, elected representatives, schools, non-governmental organizations (NGOs), media, trade associations, families and the public at large.

The main objectives of IEC are to make people understand:


- The concept of and need for source segregation,
- The need to store waste at source in two separate receptacles one for bio degradable and another for recyclable,
- The role of citizens in primary collection of waste from the household and handing over to waste collectors,
- The need to pay for waste collection and disposal services,
- The need to use litter bins on road sides and public places,
- The impact of solid waste on public health and the environment.

The following methods can be used to generate awareness among the public.

• Door to Door awareness and motivation programmes using Pamphlets, brochures, hoardings, banners, handbills, posters etc.,

- Organising rallies,
- Celebration of major occasions (e.g. Environment day),
- Conducting Street plays,
- Mass cleaning-'Clean up drive,
- School Programmes
 - Formation of 'eco clubs' in schools, organization of competitions
 - Involvement of NCC, NSS, Scouts Involvement of cine artists, political and religious leaders
- Presenting Awards through Competitions (e.g. Best performing Ward level Swachhata Protsahan Samiti, Eco house, Clean house)
- Incentives to households, commercial establishments
- Mass communication methods
 - Print media (advertisements at regular intervals)
 - Television, Cable TV, Radio and Websites
 - Cinema theatres (display of slides)
- Sensitization Workshop of Community Volunteers for Behaviour Change Communication (BCC) on SWM.
- Interpersonal Communication (IPC), contacting every household through Community Volunteers and supporting organizations Volunteers. These volunteers shall tale the message to each and every household and take their feedback as well. Convergence theory for the message dissemination and BCC by involving religious leaders, SHGs, Youth Clubs, Mahila Mandals, RWA and with pre-recorded religious & Cultural programme.
- Involvement of RWAs, CBOs, NGOs/SHGs and Market Associations is imperative to ensure the success of segregation at source. Regular meetings between the ULB staff and representatives of RWAs, Market associations, NGOs/ SHGs and other stakeholders would be conducted so that the community becomes used to this practice.
- Involvement of Ward Swachhata Protsahan Committee comprising of Volunteers or Natural Leaders in each ward who will act as SBM ambassadors and take oath for Waste free Uttar Pradesh and each committee shall have minimum 10 members.

IEC activities shall be taken up, with the involvement of leading NGOs/advertising agencies. Materials required for the IEC campaign like manuals, flipcharts and other media communication could be designed by these agencies.



RECLAMATION OF OLD DUMPS

The MSW is being dumped at the dump yard without any processing over many years by the ULBs. Hence, apart from setting up of processing plant and scientific landfill facility, the ULBs shall reclaim the dump yard in a time bound manner. The SWM



project also includes reclamation of dump yard as a key component.



In old dump sites compacted old waste is loosened and scraped off in layers by a tractor-harrow. Composting bio-culture is sprayed from a tanker-truck with high-pressure pump. It is formed into windrows & turned weekly by JCB.At each turning, hired rag-pickers retrieve buried recyclables, which partly cover their labour cost. After 3-4 weekly

turnings, the waste is dry, volume-reduced & ready to sieve by either manual or motorized simple portable sieves. The reclamation process shall be completed within one year from setting up of processing plant and scientific land fill facility.

This process of bio-mining may not be economical in many cases. So, in such abandoned waste dump sites its scientific capping and development of landscape, gardens and green areas will be taken up with the help of the Forest and Environment Department of the State.

PROVISION OF SAFETY EQUIPMENT

The MSW project shall also include provision of necessary tools and tackles, adequate protective clothing and safety gears to sanitary workers. Further, ULBs should provide adequate protection and health care facilities to its sanitation workers.











INVOLVEMENT OF RAG PICKERS AND KHABADI WALLAHS

The rag picker plays a very important part in collection segregation of waste. In India, only 30-60% waste is collected by the ULBs, whereas waste collection by the rag pickers is estimated at 15-25%. About 1 million urban poor are engaged in informal waste management sector. However, majority SWM initiatives in the country somehow side-




line the informal sector in solid waste management. This is in spite of the fact that this sector, if integrated in to the mainstream SWM system of cities and towns can lead to a win-win situation of providing secured livelihoods to the urban poor and reducing expenditure on setting-up high cost energy intensive processing plants.

Moreover, in states like Uttar Pradesh where large numbers of small sized ULBs are dispersed across the state and density of urban population is very high there is a need to go for decentralized composting of bio-degradable waste and recycling of the non-biodegradable waste through the network of rag pickers. Thus networking Rag Pickers and Kabadiwalas in to the municipal solid waste management system in the state becomes imperative. Issuance of I-card and their health insurance should be taken up on priority.

INVOLVEMENT OF NGOS, SELF HELP GROUPS AND COMMUNITY PARTICIPATION

Solid Waste management suffers from lack of adequate community involvement. Existing Municipal laws provide for punitive action against house / building owner in case of letting



out waste impacting local environment. The provisions are there for fines for violations like littering etc. The Nationa Green Tribunals and Hon'ble Courts have also laid down the principles of charging environmental

compensation in case of violations and environmental damages. However, punitive action so far has not proven a major deterrent. The reasons are laxity in enforcement and very small amounts of fines. Also, publicity of provisions

should be made in places frequented by public (eating places, shopping areas).

The successful implementation and management of MSW is dependent to a large extent on strict enforcement of laws related to littering and SWM. The ULBs should revise the amount of fines in their bye-laws adequately to make it deterrent and ensure its implementation immediately

SUPPORT BY STATE GOVERNMENT: POLICY INSTRUMENTS

1. The State Government shall extend support to those Urban Local Bodies who take timely and effective measures to solve the problem of Solid Waste resulting in achieving the objectives of this policy. The State will make the releases of funds to ULBs under State Finance Commission, XIVth Finance Commission, and Infrastructure dependent on performance of ULBs in dealing with solid waste and their revenue generation / collection:

The support/Incentive could be in the following forms:

- (i) Incentive for waste reduction.
- (ii) Making the wards and ULB ODF.
- (iii)Incentive for making rules on Door to Door collection, Segregation, Prohibition of Littering, and introduction of User Charges.
- (iv)Incentive for 100% collection of user charges.
- (v) Incentive for achieving "0 waste" producing ULB.
- (vi)Incentive to ULB for formalizing the informal sector like Kabadiwala, rag pickers & SHGs etc. into SWM activities.
- (vii)Incentive to ULBs for use of E-Governance tools in Monitoring of Solid Waste Management i.e. attendance and geo-tagging of cleaning operations, GPS enabled transportation of waste.
- 2. Promotion of Private participation and investment in Solid Waste Management (collection, segregation, transportation, processing and disposal).
 - (a) In cases where the private investor or partner's requirement is only the land on long term lease (25-30 years) and the solid waste from the Urban Local Body:

Any proposal from Private Entity / Investor / NGO / Organization received in the Government / Directorate or Urban Local Body for Solid Waste Management activities in any ULB area or group of ULBs in the State, without asking for any financial assistance, whether one time or recurring, the proposal will be scrutinized by the State Level Committee constituted for the purpose, and permissions for implementation of the project will be granted based on the recommendations of the Committee by the authority competent to approve the grant of long term lease of the ULB land. The approval will be with the following conditions: (i) The land required for the implementation of the project available with the ULB will

be given on lease with lease rent @Rs. 1 per sq. mt. /year; (ii) the land assigned to the developer would not be used for any other activity expect for approved project activities; (iii) the project proponent is not allowed to mortgage the land; (iv) access road / electricity / water / street light / drainage / sewer will be provided by the ULB up to the Plot. The developer will be entitled to sale or charge for the products and byproducts produced in the process of solid waste management.

(b) In cases where the private investor or partner's requirement is of Viability Gap Funding up to 35% of CAPEX or tipping fee per ton of solid waste consumed or charges per unit of electricity produced or charges per unit of compost produced.

The projects of waste to energy, waste to pellets, waste to compost, plastic to oil etc. will generally fall in this category. The process for selection of developers for a public-private-partnership projects as laid down in the Government orders will be followed. The Department will facilitate clearances from the other departments and power purchase agreement with the Power Department.

(c) In cases where door to door collection of municipal waste is involved and the applicant organization is not charging any fund from the ULB.

In cases where the applicant organization is willing to undertake the door to door collection of solid waste and negotiate the user charge with the house or establishment owner without charging any fund from the ULB or the State, the ward or a number of wards or entire town / city can be assigned to the applicant for a period of maximum five years. This can be further renewed with mutual agreement of the parties for another three years. The Committee constituted at State level as in Para 2 (a) above will take final decision in the matter. For taking a decision at ULB level a Committee will be constituted for the purpose. The ULBs will make available land in parks, landfills or any other suitable site for composting, segregation, and processing of collected waste on lease rental of Rs. 1 per square meter for a period of three years. The ULB may have more than one agency in its area for working on Solid Waste Management.

3. Management of abandoned landfill sites

The Department or the ULB can take up this work of scientific capping and development of abandoned landfill sites with the help of the Forest and Environment Department. The list of such landfills will be made available by the Urban Development Department to the Department of Forest and Environment, who will develop a project for scientific capping and development of the area as landscape, garden or green areas. The project after approval of State Level Committee competent to approve such projects under Swacchh Bharat Mission (Urban) will be financed for implementation.

IMPORTANT FACTS ABOUT SOLID WASTE:

S.N	Category of waste	Amount generated per annum in India	Amount generated per annum in Uttar Pradesh
1	Solid Waste	6.2 crore tons	5.47 lac tons
2	Plastic Waste	56 lac tons	3.47 fac tons
3	Bio-Medical Waste	1.7 lac tons	
4	Hazardous Waste	79 lac tons	
5	e- waste	15 lac ton	
		_	_
		_	_

Status of Waste Collected and Treated in India

S.N	Category of Waste	Annual Amount
1	Waste Collected by Agencies	4.3 crore tons
2	Treated	1.19 crore tons
3	Being dumped in low lying areas	3.10 crore tons
4	Share of Urban Local Bodies in	75-80%
	collection of waste	
5	Treated waste out of total collected	22-28%
	by ULBs	

Time taken in decomposition of different wastes

S.N	Category of Waste	Time in Years
1	Plastic bag	20-1000
2	Plastic Bottles	400
3	Polystyrene cup	50
4	Plastic coated paper cup	30
5	Glass Bottle	1000000
6	Disposable Napkins	450
7	Aluminium cans	80-200
8	Cigarette but	1-5
9	Milk carton with wax coating	3 months
10	Paper towel	2-4 weeks

Definitions

Some important definitions which are mentioned in Solid Waste Management Rules, 2016are as follows:

- 1. **Aerobic composting -** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in the presence of oxygen;
- 2. **Anaerobic digestion** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in absence of oxygen;
- 3. **Authorisation** means the permission given by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, to the operator of a facility or urban local authority, or any other agency responsible for processing and disposal of solid waste:
- 4. **Biodegradable waste** means any organic material that can be degraded by microorganisms into simpler stable compounds;
- 5. **Bio-methanation** means a process which entails enzymatic decomposition of the organic matter by microbial action to produce methane rich biogas;
- 6. **Brand owner** means a person or company who sells any commodity under a registered brand label.
- 7. **Buffer zone** means zone of no development to be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding 5 TPD of installed capacity. This will be maintained within total and area allotted for the solid waste processing and disposal facility.
- 8. **Bulk waste generator** means and includes buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100kg per day.
- 9. **Bye-laws** means regulatory framework notified by local body, census town and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction.
- 10. **Census town** means an urban area as defined by the Registrar General and Census Commissioner of India.
- 11. **Combustible Waste-** means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials like plastic, wood pulp, etc.
- 12. **Composting** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter.
- 13. **Contractor** means a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labour to perform a service or do a job for service providing authority;

- 14. **Co-processing** means use of non-biodegradable and non-recyclable solid waste having calorific value exceeding 1500k/cal as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources and fossil fuels in industrial processes.
- 15. **Decentralised processing** means establishment of dispersed facilities for maximizing the processing of biodegradable waste and recovery of recyclables closest to the source of generation so as to minimize transportation of waste for processing or disposal;
- 16. **Disposal** means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains on land as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;
- 17. **Domestic Hazardous Waste** means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;
- 18. **Door to door collection** means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;
- 19. **Dry waste** means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary napkin and diapers, etc;
- 20. **Dump sites** means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;
- 21. **Extended Producer Responsibility (EPR)** means responsibility of any producer of packaging products such as plastic, tin, glass and corrugated boxes, etc., for environmentally sound management, till end-of-life of the packaging products;
- 22. **Facility** means any establishment wherein the solid waste management processes namely segregation, recovery, storage, collection, recycling, processing, treatment or safe disposal are carried out;
- 23. **Fine** means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these rules and/or bye- laws.
- 24. **Form** means a F8orm appended to these rules;
- 25. **Handling** includes all activities relating to sorting, segregation, material recovery, collection, secondary storage, shredding, baling, crushing, loading, unloading, transportation, processing and disposal of solid wastes.
- 26. **Inert** means wastes which are not bio-degradable, recyclable or combustible street sweeping or dust and silt removed from the surface drains;

- 27. **Incineration** means an engineered process involving burning or combustion of solid waste to thermally degrade waste materials at high temperatures.
- 28. **Informalwastecollector** includes individuals, associations or waste traders who are involved in sorting, sale and purchase of recyclable materials.
- 29. **Leachate** means the liquid that seeps through solid waste or other medium and has extracts of dissolved or suspended material from it.
- 30. **Local body** for the purpose of these rules means and includes the municipal corporation, Nagar Nigam, municipal council, Nagarpalika, Nagar PalikaParishad, Municipal board, Nagar Panchayatand town panchayat, census towns, notified areas and notified industrial townships with whatever name they are called in different States and union territories in India.
- 31. **Materials Recovery Facility (MRF)** means a facility where non-compostable solid waste can be temporarily stored by the local body or any other entity mentioned in rule 2 or any person or agency authorised by any of them to facilitate segregation, sorting and recovery of recyclables from various components of waste by authorised informal sector of waste pickers, informal recyclers or any other work force engaged by the local body or entity mentioned in rule 2for the purpose before the waste is delivered or taken up for its processing or disposal.
- 32. **Non-biodegradable waste** means any waste that cannot be degraded by microorganisms into simpler stable compounds;
- 33. **Operator of a facility** means a person or entity, who owns or operates a facility for handling solid waste which includes the local body and any other entity or agency appointed by the local body.
- 34. **Primary collection** means collecting, lifting and removal of segregated solid waste from source of its generation including households, shops, offices and any other non-residential premises or from any collection points or any other location specified by the local body.
- 35. **Processing** means any scientific process by which segregated solid waste is handled for the purpose of reuse, recycling or transformation into new products.
- 36. **Recycling-** means the process of transforming segregated non-biodegradable solid waste into new material or product or as raw material for producing new products which may or may not be similar to the original products.
- 37. **Redevelopment** means rebuilding of old residential or commercial buildings at the same site, where the existing buildings and other infrastructures have become dilapidated;
- 38. **Refused Derived Fuel (RDF)** means fuel derived from combustible waste fraction of solid waste like plastic, wood, pulp or organic waste, other than chlorinated materials, in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting of solid waste;
- 39. **Residual solid waste** means and includes the waste and rejects from the solid waste processing facilities which are not suitable for recycling or further processing;

- 40. **Sanitary land filling** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;
- 41. **Sanitary waste** means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;
- 42. **Schedule** means the Schedule appended to these rules;
- 43. **Secondary storage** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility.
- 44. **Segregation** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non-biodegradable wastes including recyclable waste, non-recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;
- 45. **Service provider** means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc.
- 46. **Solid waste** means and includes solid or semi-solid domestic waste, sanitary waste, commercial waste, institutional waste, catering and market waste and other non-residential wastes, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture and dairy waste, treated bio-medical waste excluding industrial waste, bio-medical waste and e-waste, battery waste, radio-active waste generated in the area under the local authorities and other entities mentioned in rule 2.
- 47. **Sorting** means separating various components and categories of recyclables such as paper, plastic, cardboards, metal, glass, etc., from mixed waste as may be appropriate to facilitate recycling.
- 48. **Stabilising-** means the biological decomposition of biodegradable wastes to a stable state where it generates no leachate or offensive odours and is fit for application to farm land ,soil erosion control and soil remediation.
- 49. **Street vendor** means any person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly.
- 50. **Tipping fee** means a fee or support price determined by the local authorities or any state agency authorised by the State government to be paid to the concessionaire or operator of waste processing facility or for disposal of residual solid waste at the landfill.

- 51. **Transfer station** means a facility created to receive solid waste from collection areas and transport in bulk in covered vehicles or containers to waste processing and, or, disposal facilities;
- 52. **Transportation** means conveyance of solid waste, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally soundmanner through specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions.
- 53. **Treatment** means the method, technique or process designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of any waste so as to reduce its volume and potential to cause harm.
- 54. **User fee** means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule 2 on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services.
- 55. **Vermin-composting** means the process of conversion of bio-degradable waste into compost using earth worms.
- 56. **Waste generator** means and includes every person or group of persons, every residential premises and non-residential establishments including Indian Railways, defence establishments, which generate solid waste.
- 57. **Waste hierarchy** means the priority order in which the solid waste is to should be managed by giving emphasis to prevention, reduction, reuse, recycling, recovery and disposal, with prevention being the most preferred option and the disposal at the landfill being the least.
- 58. Waste picker (Rag picker) means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood.